



नगर निगम, जयपुर

(प. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक :- एफ 13 () व. न. नियो./जननि./2014/ 1714

दिनांक:- 30/12/14

बैठक कार्यवाही विवरण

भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2014 व 24.12.2014 को नगर निगम, मुख्यालय में सायं 4:00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित समिति के सदस्य व अन्य अधिकारी उपस्थित हुये :—

1. श्री ज्ञानाराम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष।
2. श्री उमेद सिंह, आयुक्त (आयोजना) सदस्य।
3. श्री अरुण चतुर्वेदी, अतिः मुख्य नगर नियोजक सदस्य।
4. श्री सतीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, सदस्य सचिव।

अन्य अधिकारीगण :—

1. श्री सुरेश चन्द शर्मा, सहायक नगर नियोजक।
2. श्री आईसक जोन, सहायक नगर नियोजक।
3. श्री मुकेश दत्त माथुर, सहायक नगर नियोजक।
4. श्री राजपाल चौधरी, सहायक नगर नियोजक।

नोट:- दिनांक 23.12.2014 को एजेण्डा क्रमांक 11 से 51 तक पर विचार विमर्श किया गया।
दिनांक 24.12.2014 को एजेण्डा क्रमांक 52 से 71 पर विचार विमर्श किया गया।

प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नियमबद्ध हेतु।

पत्रावली संख्या 18/2070 सरण हवामहल जोन पूर्व जयपुर नगर निगम।

प्रयोजन आवासीय भवन निर्माण स्वीकृत बाबत।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री कीर्ति चंद टांक पुत्र स्व. श्री राजरूप टांक।
2. भूखण्ड सं./योजना:- म.न. 3936 मोती सिंह भौमियों का रास्ता चौकडी घाटगेट।

समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया।

प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

(1) आवेदक के कब्जे में 135.36 वर्ग.मीटर सरकारी भूमि पर जो कब्जा है उसे सर्वप्रथम हटवाया जायें। सरकारी भूमि पर से कब्जा हटने के पश्चात प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नियमबद्ध हेतु।

भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई—भवन विनियम—2010

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती आयुषी भार्गव।
2. भूखण्ड सं./योजना :— 100/176 व 100/177, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :—
 - (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— $15.00 \times 12.00 = 180.00$ व. मी.।
 - (ii) पुनर्गठन मानचित्र अनुसार :— $15.00 \times 12.00 = 180.00$ व. मी.।
 - (iii) मौका अनुसार :— $15.00 \times 12.00 = 180.00$ व. मी.।
4. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— प्रताप नगर (राज. आवासन मण्डल)
 - (ii) आवंटित :— है।
5. सड़क की चौड़ाई :—
 - (i) योजना / प्लान के अनुसार :— 9.00 मी.।
 - (ii) मौके अनुसार :— 9.00 मी. (69/एन)
6. भू—उपयोग
 - (i) मास्टर प्लान के अनुसार :— आवासीय।
 - (ii) प्रस्तावित :— आवासीय।
 - (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग :— निर्माणाधीन।
7. मौका रिपोर्ट :— पत्रावली में पृ. सं. 52/सी पर संलग्न मानचित्र में ग्रीन कलर से दर्शाए गए भाग को मौके से पूर्ण रूपसे हटा लिया गया है। (44/एन)

मौके पर भूखण्ड पर बेसमेंट + ग्राउण्ड फ्लोर निर्मित है। भूखण्ड पर वर्तमान में कोई कार्य नहीं चल रहा है। भूखण्ड की स्थिति स्केचानुसार है। भूखण्ड की स्थिति पत्रावली में पृ. सं. 57-62/सी पर संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार है। (69/एन)
8. स्वामित्व रिपोर्ट :— संलग्न दस्तावेजोंनुसार आवेदक का भू. सं. 100/176 व 100/177 पर श्रीमती आयुषी भार्गव का स्वामित्व जाहिर होता है। (पुनर्गठन पत्रावली के पैरा 14/एन)
9. तकनीकी रिपोर्ट :—
 - (i) भवन के पैरामीटर्स :—

(1) सेट (चूनतम)	(2) बैक पुनर्गठन मानचित्रानुसार	(3) भवन विनियम 2010 की तालिका “1” के अनुसार	(4) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	3.00 मी.	3.00 मी.	3.00 मी.
साइड प्रथम	0.00 मी.	0.00 मी.	0.00 मी.
साइड द्वितीय	0.00 मी.	0.00 मी.	0.00 मी.
पीछे	2.50 मी.	2.50 मी.	बेसमेंट एवं ग्राउण्ड फ्लोर 1.25 मी. नियमबद्ध
ऊँचाई	—	12.00 मी.	प्रथम एवं द्वितीय तल 2.50 मी. प्रस्तावित
मंजिल	—	जी+2	बी+जी नियमबद्ध एवं प्रथम व द्वितीय तल. प्रस्तावित
बेसमेंट	—	देय	निर्मित है
आचादन	—	सेटबैक क्षेत्र के अंदर	64.63 प्रतिशत
एफ.ए.आर	—	जो भी प्राप्त हो	गणना की जानी है

(ii) पार्किंग :— भवन विनियम अनुसार = गणना की जानी है। (मानचित्रानुसार 3 कार 2 स्कूटर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 1.66 ई.सी.यू (1 कार, 2 स्कूटर)

10. विचारणीय बिन्दु :-

- राजस्थान आवासन मण्डल योजना के नगर निगम, जयपुर द्वारा कार्यालय पत्रांक 609 दिनांक 05.04.2013 को पुनर्गठन मानचित्र जारी किये गये हैं। अब आवेदक द्वारा उक्त पुनर्गठित भूखण्ड पर बेसमेंट एवं भूतल निर्मित के ऊपर प्रथम व द्वितीय तल कुल 10.95 मीटर ऊँचाई की आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी थी। प्रश्नगत प्रकरण को प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 के तहत गठित समिति की बैठक दिनांक 29.05.2013 में प्रस्ताव सं. 12 एवं दिनांक 13.08.2013 में प्रस्ताव सं. 08 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

“प्रकरण पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आवेदक को सूचित किया जाए कि वह अनियमबद्ध निर्माण को हटाकर मय फोटो के कार्यालय में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जायेगा।”

उक्त निर्णय की अनुपालना में आवेदक द्वारा पैरा 44/एन पर अंकित मौका रिपोर्ट अनुसार अनियमबद्ध निर्माण को हटा लिया गया है।

तत्पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 12.09.2014 में प्रस्ताव सं. 20 पर विचारार्थ रखा गया था। सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

“प्रकरण नियमन/ कम्पाउण्ड योग्य हैं/ कम्पाउण्डेवल भाग की गणना की जाकर नियमानुसार कम्पाउण्ड शुल्क जमा करावें।”

उक्त निर्णय की अनुपालना में आवेदिका को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1361 दिनांक 07.10.2014 को नियमितीकरण एवं बिना निर्माण स्वीकृति शुल्क 37665/- रुपये का मांग पत्र जारी किया गया था। आवेदिका द्वारा उक्त राशि नगर निगम कोष में रसीद सं. 9001 / 9436 दिनांक 07.10.2014 को जमा करा दिये गये हैं। रसीद की प्रति संलग्न है। (104/सी)

2. बिना स्वीकृति प्राप्त किये बेसमेंट एवं भूतल को नगर निगम, जयपुर द्वारा नियमबद्ध शुल्क जमा कर नियमबद्ध कर दिया गया है। आवेदिका द्वारा नियमानुसार सैटबैक छोड़ते हुये प्रथम एवं द्वितीय तल कुल 10.95 मी. ऊँचाई की भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है, जो नियमानुसार देय है।

3. आवेदक द्वारा कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर. का 3 कार + 2 स्कूटर के स्थान पर 1.66 ई.सी.यू. (1 कार, 2 स्कूटर) पार्किंग प्रस्तावित है, जो नियमानुसार से कम प्रस्तावित है। चूंकि उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 180.00 व. मी. एवं एक निवास इकाई का है जो 500.00 व. मी. से कम है। अतः पार्किंग बाबत् निर्णय लिया जाना है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 के नियम 10.1 (क) “आवासीय एवं अन्य उपयोग (वाणिज्यिक भवनों, सिनेमा एवं थियेटरों के अलावा) : एक समतुल्य कार इकाई (ई.सी.यू.) प्रति 75 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. क्षेत्र देय होगी लेकिन 500 वर्ग मीटर एवं उससे छोटे आवासीय एवं संस्थागत भूखण्डों पर पार्किंग की अनिवार्यता नहीं होगी, किन्तु उक्त क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन से अधिक आवासीय इकाई प्रस्तावित करने पर नियमानुसार पार्किंग प्रावधान कराना आवश्यक होगा।”

11. प्रस्ताव :- विचारणीय बिन्दु 10 (3) के निर्णयोपरांत भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

- प्रस्तावित प्रथम व द्वितीय तल को अनुमोदित किया जाता है।
- भवन के बेसमेन्ट में आवेदक द्वारा स्टोर प्रस्तावित किया गया है व ऊपर की मंजिलों पर भवन में कुल केवल 3 आवासीय युनिट प्रस्तावित को अनुमोदित किया गया है। आवेदक द्वारा मौके पर उक्त अनुमोदन के विपरीत कोई निर्माण किया जाता है तो उक्त स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी व मौके पर हुये निर्माण को अवैध माना जायेगा।
- क्योंकि प्रस्तावित निर्माण 3 निवास इकाई का है व भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्ग.मी. से कम है अतः भवन विनियम अनुसार पार्किंग की आवश्यकता नहीं है।
- समर्त शुल्क जमा होने के पश्चात व आवेदक से तस्वीक शुदा शपथ पत्र लिये जाने के पश्चात मानचित्र जारी किये जायें।

२१८.१

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

३८८.१

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)

३८८.१

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती राम जानकी।
2. भू. सं./योजना का नाम :— खसरा नं. 252/334, ग्राम बस्सी सीतारामपुरा, तह. जयपुर (चांदपोल इमशान के पास) (निजी भूमि)।
3. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के 13/एन अनुसार	मौके पैरा 37/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	1136.26 व. ग.	रकबा, बीघा-विस्ता 0.09	अंकित नहीं
प्रस्तावित उपविभाजन	51'-0" x 81'-0" = 459.00 व. ग.	51'-0" x 81'-0" = 459.00 व. ग.	51'-0" x 81'-0" = 459.00 व. ग.

4. प्रकरण के तथ्य :— प्रश्नगत प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 02.07.2012 में प्रस्ताव सं. 20 पर विचारार्थ रखा गया था। 'समिति द्वारा प्रकरण का एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार-विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया:—

- i. समिति द्वारा नोट किया गया कि एजेण्डा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड के पश्चात् जो शेष भूमि मूल भूखण्ड में रह जाती है, वह उपविभाजित भूखण्ड के किस तरफ आती है। शेष भूमि की स्थिति को स्पष्ट करवाया जावे।
- ii. प्रकरण में यह भी परीक्षण करवाया जावे कि विषयान्तर्गत भूमि मन्दिर की भूमि तो नहीं है।
- iii. इसके पश्चात् प्रकरण को पुनः भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त निर्णय की अनुपालना में पैरा 57/एन अनुसार तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जो निम्नानुसार है:—

“पत्रावली के पृ. सं. 4/सी पर संलग्न उपविभाजन मानचित्र में लाल रंग से दर्शित भाग की भूमि उपविभाजन भूखण्ड के पश्चात् शेष भूमि है। यह शेष भूमि पूर्व दिशा की है। बिन्दु सं. (ii) के क्रम में निवेदन है कि विषयान्तर्गत भूमि मन्दिर की नहीं है। (57-58/एन)

तत्पश्चात् पैरा 67/एन अनुसार तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जो निम्नानुसार है:—

“प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड के पश्चात् शेष भूमि पूर्व दिशा में शेष बचती है। पत्रावली के पृ. सं. 4/सी पर संलग्न मानचित्र में इस भाग को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। नगर निगम में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक विषयान्तर्गत भूमि मन्दिर की नहीं है। (67-68/एन)

अतः प्रश्नगत प्रकरण के पूर्व एजेण्डा की छाया प्रति संलग्न समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. समिति के सदस्यों द्वारा मौका देखा जायें।
2. प्रकरण में स्वामित्व बाबत पुनः परीक्षण कराया जायें, विशेष कर पूरी भूमि के रकबे बाबत।

ज्ञानी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

ज्ञानी

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

विशेष

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

ज्ञानी

आयुष्ट (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – स्वतंत्र आवासीय (तीन निवास इकाई) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जाँच की गई— भवन विनियम—2010

1. प्रार्थी का नाम :— श्री रमेश सभानी।
2. भूखण्ड सं./योजना:— 34/27, मानसरोवर, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :—
 - (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— 204.00 व. मी।
 - (ii) स्थल मानचित्र अनुसार :— 204.00 व. मी. (पृ. सं. 21/सी)
 - (iii) मौका अनुसार :— 204.00 व. मी. (पैरा 13/एन)
4. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— मानसरोवर।
 - (ii) आवंटित :— हाँ (राज0 आवासन मण्डल द्वारा)
5. सड़क की चौड़ाई :—
 - (i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :— 9.00 मी.
 - (ii) मौके के अनुसार :— 9.00 मी. (13/एन)
6. भू-उपयोग
 - (i) मास्टर प्लान के अनुसार:— आवासीय।
 - (ii) प्रस्तावित :— आवासीय।
 - (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:— पुराना निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है।
7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड पर ग्राउण्ड फ्लोर निर्मित है। मौके पर भूखण्ड किसी काम नहीं आ रहा है। भूखण्ड की स्थिति स्केचानुसार है। मौके पर भूखण्ड पर डिस्मेन्टल का कार्य चल रहा है। भूखण्ड का क्षेत्रफल $17.00 \times 12.00 = 204.00$ व. मी. है। (13/एन)
8. स्वामित्व रिपोर्ट :— आवंटन पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवेदक श्री रमेश सभानी पुत्र श्री लालचंद के पक्ष में किये गये नाम हस्तांतरण के दस्तावेजों की छाया प्रतियों के आधार पर 204 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर स्वामित्व सही होने की पुष्टि होती है। (9/एन)
9. तकनीकी रिपोर्ट :—
 - (i) भवन के पैरामीटर्स:—

(1)	(2)	(3)	(4)
सेट बैंक (न्यूनतम)	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी साइट प्लान पृ. सं. 21/सी अनुसार	भवन विनियम 2010 की तालिका “1” के अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	5.00 मी.	5.00 मी.	5.12 मी.
साईड प्रथम	0.00 मी.	0.00 मी.	0.00 मी.
साईड द्वितीय	0.00 मी.	0.00 मी.	0.00 मी.
पीछे	0.00 मी. व 4.3 मी.	0.00 मी. व 4.3 मी.	0.00 मी. व 4.3 मी.
ऊँचाई	—	12.00 मी.	11.00 मी.
मंजिल	—	जी+2	जी+2
बेसमेंट	—	देय	प्रस्तावित नहीं
आच्छादन	—	सेटबैंक क्षेत्र के अंदर	सेटबैंक क्षेत्र के अंदर
एफ.ए.आर	—	जो भी प्राप्त हो	1.63

(ii) पार्किंग:— प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 3.33 ई.सी.यू (2 कार, 4 दुपहिया)

10. विचारणीय बिन्दु :—

1. प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 17.09.2014 में प्रस्ताव सं. 10 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:—

“समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी से अग्र सैटबेक में बाउण्ड्रीवाल प्रस्तावित कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें। मानचित्रों का तकनीकी परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जावे।”

उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी द्वारा अग्र सैटबेक 5.12 मी. रखते हुये बाउण्ड्रीवाल प्रस्तावित कर संशोधित मानचित्र दिनांक 22.09.2014 को प्रस्तुत किये गये हैं।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 204.00 व. मी. पर ग्राउण्ड फ्लोर + 2 तल कुल 11.00 मी. ऊँचाई प्रस्तावित कर स्वतंत्र आवासीय (तीन निवास इकाई) की भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।
11. मानचित्रों का अनुमोदन किया जाता है तो निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है :-

1. भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क	2500/- रुपये।
2. मलबा शुल्क	1000/- रुपये।
3. लोगो राशि	1000/- रुपये।
4. अतिं० एफ.ए.आर. शुल्क	गणना की जानी है।
5. सीवर शुल्क	गणना की जानी।
12. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. एजेण्डों के प्रस्ताव अनुसार भूतल + दो मंजिल (जी+2) तीन निवास इकाई का प्रस्तावित मानचित्र अनुमोदित किया जाता है।
2. आवेदक से तीन निवास इकाई ही मौके पर बनाई जायेगी इस बाबत तस्दीक शुदा शपथ पत्र लिया जायें। अनुमोदित मानचित्र के विपरीत मौके पर निर्माण किये जाने पर उक्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेंगी।
3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात न्व आवेदक से तस्दीक शुदा शपथ पत्र लिये जाने के पश्चात मानचित्र जारी किये जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :– श्री प्रेम चन्द्र।
2. भू. सं./योजना का नाम :– 63-ए, निकट बाईस गोदाम कच्ची बस्ती, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :–
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :– निकट बाईस गोदाम कच्ची बस्ती।
 - (ii) आवंटित :– हाँ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :–

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके पैरा 14/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	333.33 व. ग.	266.66 व. ग.	333.33 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	111.11 व. ग.	88.88 व. ग.	111.11 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :–

- (i) योजना / प्लान के अनुसार :– अंकित नहीं। (56/सी)
- (ii) मौके अनुसार :– 18'-6" से 19'-6" (14/एन)
- (iii) भू. सं. 62 के सामने :– 25'-0" (20.03.2013 संलग्न पत्रावली)
- (iv) भू. सं. 64-ए के सामने :– 20'-0" (05.12.2012 संलग्न पत्रावली)

6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण :– भूमि समर्पण निर्णयानुसार होगा।
7. स्वामित्व रिपोर्ट :– भूखण्ड की मूल पत्रावली के अनुसार भू. सं. 63, बाईस गोदाम तीन भाइयों के नाम से आवंटित है। जिसकी नजराना राशि भूखण्ड की मूल पत्रावली की नोटशीट के पैरा सं. 6 के अनुसार जमा है। अतः स्वामित्व सही है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का $20 \times 50 = 111.11$ व. ग. भूमि पर रहवास है। (4/एन)
8. मौका रिपोर्ट :– Total Plot Area 50X60 = 333.33 Sq. Yd.
Applicant Plot Area 50X20 = 111.11 Sq. Yd.

संलग्न स्कीम प्लान में रोड की नाप अंकित नहीं है। (14/एन)

9. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :– मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।
10. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	पैरामीटर	प्रस्तावित भू. सं. 63-ए पर देय पैरामीटर
अग्र	10'-0"	अग्र	10'-0"
साइड प्रथम	–	साइड प्रथम	–
साइड द्वितीय	5'-0"	साइड द्वितीय	–
पीछे	5'-0"	पीछे	5'-0"

11. टिप्पणी :–

- प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।
- मूल पत्रावली अनुसार मूल भूखण्ड 266.66 व. ग. क्षेत्रफल का आवंटन (1/सी) किया गया था। पैरा 6/एन अनुसार आवंटित 266.66 व. ग. का नजराना राशि जमा है। पैरा 18/एन वर्तमान मौका रिपोर्ट पैरा 14/एन अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 333.33 व. ग. है। अतः आवेदक से $333.33 - 266.66 = 66.67$ व. ग. बढ़ी हुई है।
- मौके पर सड़क की चौड़ाई 18'-6" से 19'-6" है। प्रश्नगत भूखण्ड के साथ वाले भूखण्ड (भू. सं. 64-ए) का पट्ठा 40'-0" सड़क मानकर दिया गया है।

12. शुल्क

- भू. सं. 63-ए

- i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)

4645/- रुपये।

ii. बी.एस.यू.पी. शोल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)



2323/- रुपये।

13. प्रस्ताव :-

- i. अतिरिक्त भू-आवंटन हेतु पत्रावली आयुक्त (राजस्व) के यहां भेजा जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. सम्बन्धित जोन आयुक्त भूखण्ड में आ रही अतिरिक्त भूमि वाबत परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही बाबत स्पष्ट रिपोर्ट दें।
2. आवेदक के कब्जे में जो अतिरिक्त भूमि है उस पर से आवेदक का कब्जा हटवाया जायें।
3. विषयान्तर्गत भूखण्ड के सामने योजना अनुसार सड़क की क्या चौड़ाई है इसका परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायें कि आवेदक द्वारा सड़क सीमा पर कोई कब्जा तो नहीं कर रखा है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर वरिष्ठ नगर नियोजक
(अध्यक्ष) (सदस्य) नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)
आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्री विजय सिंह।
2. भू सं./योजना का नाम :— 754, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— बरकत नगर।
 - (ii) आवंटित :— हॉ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके पैरा 31/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	254.44 व. ग. (212.74 व. मी.)	254.44 व. ग. (212.74 व. मी.)	273.74 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल	127.11 व. ग. (106.28 व. मी.)	127.22 व. ग. (106.37 व. मी.)	127.09 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :—

- (i) योजना / प्लान के अनुसार :— 30'-0" (75/सी)

- (ii) मौके अनुसार :— 30'-0" (31/एन)

6. स्वामित्व रिपोर्ट :— पत्रावली अनुसार श्री विजय सिंह का भूखण्ड के आधे हिस्से 127.22 वर्ग पर स्वामित्व सही है। (25/एन)

7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड आवासीय उपयोग में आ रहा है। मौके की स्थिति स्केचानुसार है। मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 273.74 व. ग. एवं प्रार्थी के भूखण्ड का क्षेत्रफल 127.09 व. ग. है। (31/एन)

8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।

9. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	पैरामीटर	प्रस्तावित भू. सं. 754-ए पर देय पैरामीटर
अग्र	4.50 मी.	अग्र	4.50 मी.
साइड प्रथम	—	साइड प्रथम	—
साइड द्वितीय	—	साइड द्वितीय	3.00 मी.
पीछे	2.50 मी.	पीछे	—

10. टिप्पणी :—

1. प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।

2. जयपुर विकास प्राधिकरण के भवन मानचित्र समिति द्वितीय (सीपीसी) की बैठक सं. 49/2000 दिनांक 27.05.2000 (105-7/सी) में एजेण्डा सं. 3 (2) पर लवकुश नगर और बरकत नगर में सवाई माधोपुर रेल्वे लाईन के सेंटर से 75 फीट को छोड़ते हुए उन भूखण्डों का नियमन कर दिया जाये जिनके लिए 75 फीट के बाद प्रवेश मार्ग उपलब्ध हैं और निर्मित क्षेत्र मिलता है। 75 फीट पर जिन भूखण्डों की पीठ/सीमा आए उनके साइट प्लान में भूखण्ड के पश्चिम की भूमि "जविप्रा का खुला क्षेत्र" दर्शाई जाए।

उक्तानुसार मूल भूखण्ड के पीछे रेल्वे लाईन के सेंटर से 75'-0" दूरी छोड़ जाने के पश्चात् शेष भू. सं. 754-बी में जाने का रास्ता नहीं रहता है इसलिए भू. सं. 754-बी में जाने का रास्ता प्रस्तावित उपविभाजित भू. सं. 754-ए में से रखे जाने हेतु साईड द्वितीय सैटबैक 3.00 मीटर रखा जाना आवश्यक है जो भूमि तल पर रास्ता रहेगा तथा उपरी तलों पर प्रार्थी भवन निर्माण कर सकेगा। इस कारण साईड द्वितीय सैटबैक 3.00 मीटर रखे जाने पर निर्णय किया जाना है।

3. मूल भूखण्ड में आवंटन से अधिक (373.74–254.44) = 19.30 व. ग. अधिक भूमि पर कब्जा है तथा इसके अतिरिक्त सीढ़ी/रैम्प निर्मित है परंतु प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड में अधिक कब्जे वाली भूमि नहीं आती है।
 4. साईड द्वितीय सैटबैक के 3.00 मी. क्षेत्र में भूमि तल पर निर्मित निर्माण को प्रार्थी द्वारा हटाया जावे/हटाये जाने बाबत् शपथ पत्र पेश किया जावे। निर्णयार्थ।
11. शुल्क
- भू सं. 754-ए
 - iii. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 5320/- रुपये।
 - iv. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 2660/- रुपये।
12. प्रस्ताव :— उपरोक्तानुसार उपविभाजन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. भूखण्ड संख्या 754 वी द्वारा रेल्वे लाईन की तरफ जो सरकारी भूमि पर रेम्प बनाकर कब्जा किया हुआ है उसे सम्बन्धित जोन आयुक्त द्वारा हटवाया जायें।
2. आवेदक से स्पष्ट नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त किये जायें कि पीछे के भूखण्ड में जाने के लिए 3 मीटर चौड़ा पैसेज किस प्रकार उपलब्ध कराया जायेगा।


 मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	 अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	 वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	 आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)
---	---	--	---

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री प्रह्लाद चन्द मेठी।
2. भू सं./योजना का नाम :— ए-6 (पाट) आदर्श नगर, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 1543 दिनांक 17.07.2013, 1698 दिनांक 07.08.2013 एवं 3102 दिनांक 18.02.2014 द्वारा संशोधित मानचित्र प्रेषित करने हेतु पत्र भेजा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

			
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमति शकीरा पत्नि अब्दुल हमीद।
2. भू सं./योजना का नाम :— ए-19, अमृतपुरी, जयपुर के नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा हेतु।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 3163 दिनांक 24.02.2014, 479 दिनांक 17.06.2014 द्वारा स्थल मानचित्र के अनुसार 15 फीट रेडियस से कब्जा हटाने हेतु पत्र भेजा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक 15 फीट रेडियस से कब्जा हटाकर निगम को सूचित नहीं किया गया है।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफतर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय— समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :– ईश्वर अडवाणी

2. भू सं./योजना का नाम :– 141, आदर्श नगर, जयपुर।

3. प्रकरण के तथ्य :– प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भू-खण्ड का उपविभाजन, नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा चाहा गया है। प्रार्थी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक 1205 दिनांक 13.03.13, 1449 दिनांक 31.03.13, 2910 दिनांक 24.01.2014, 3152 दिनांक 24.02.2014 प्रेषित किये गये परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया।

4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)



आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री अरविन्द्र अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल व अन्य
2. भू. सं./योजना का नाम :— ए-10, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— एम्पार्ड कमेटी (भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति) की बैठक दिनांक 01.10.2013 में प्रश्नगत भूखण्ड के आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति एवं नियमबद्ध करने का निर्णय लिया गया था। लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी को पत्रांक 2511 दिनांक 19.11.2013, 3195 दिनांक 05.03.2014 एवं 478 दिनांक 16.06.2014 द्वारा मांग पत्र भेजा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक राशि एवं अन्य दस्तावेज जमा नहीं कराये गये।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दपतर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष) (सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)



आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री दुलीचन्द विनायक
2. भू. सं./योजना का नाम :— 177-ए, रामगली नं. 2, राजापार्क, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 1297 दिनांक 21.06.2013, 1658 दिनांक 01.08.2013, 1999 दिनांक 19.09.2013, 7465 दिनांक 07.11.2013 एवं 3006 दिनांक 07.02.2014 द्वारा अग्र सैट बेक में अनाधिकृत निर्माण बावत आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई थी। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक दस्तावेज जमा नहीं कराये गये।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर (सदस्य)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्री अरुण कुमार शर्मा।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 70, लवकुश नगर—I, टोक रोड, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :— 170.00 व. ग.।

प्रकरण के तथ्य :— प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 23.07.2014 में प्रस्ताव सं. 05 पर विचारार्थ रखा गया था। “समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एजेण्डा में वर्णित प्रस्तावानुसार प्रकरण को निरस्त किया जावे तथा सड़क की भूमि से कब्जा हटाये जाने बाबत् जोन कार्यालय को पत्र प्रेषित किया जावे।”

उक्त निर्णय की अनुपालना में आवेदक को सिविल लाईन जोन द्वारा दिनांक 25.08.2014 को पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त पत्र के संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 26.09.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि:—

“मैंने रोड से 2.50 फीट कब्जा हटाकर सिविल लाईन जोन को सम्मलवा दिया है जिसका अवलोकन पत्रावली पर किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि अब पुनः प्रकरण कमेटी में रख उक्त प्लाट का उपविभाजन कर पट्टा जारी करवाने का श्रम करें।”

पैरा 87-88/एन पर अंकितानुसार ‘भौके से सरकारी सड़क पर आ रहे 2'-6"X26'-7½" कब्जे को प्रार्थी द्वारा हटा लिया गया है तथा जिसका कब्जा निगम द्वारा सम्माल लिया है।’ (88/एन)

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण के पूर्व एजेण्डा की छाया प्रति संलग्न कर पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. प्रस्तावित उपविभाजन को एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर अनुसार अनुमोदित किया जाता है।
2. आवेदक से इस आशय का तस्दीक शुदा शपथ पत्र लिया जाये कि उक्त उपविभाजन से सैटबैक मे किये गये निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा।
3. भूखण्ड संख्या 70 ए को उक्त उपविभाजन के निर्णय से सूचित किया जाये कि उसके भूखण्ड में निर्माण योग्य क्षेत्र प्राप्त नहीं होने के कारण भविष्य में उपविभाजन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
4. समस्त शुल्क जमा होने व तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्राप्त होने के पश्चात उपविभाजन मानचित्र जारी किया जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई – भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती चन्द्रकला टांक।
2. भूखण्ड सं./योजना:— 27, उनियारा गार्डन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :— 689.78 व. मी।
4. सड़क की चौड़ाई :— 160'-0"
5. विचारणीय बिन्दु :— प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 24.06.2014 में प्रस्ताव सं. 08 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

“समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन विनियम 2010 की तालिका 1 टिप्पणी (xii) (घ) के प्रावधानुसार पार्किंग उपयोग हेतु स्टिल्ट अनिवार्य होने के कारण स्टिल्ट सहित संशोधित मानचित्र लेते हुए एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार बेसमेंट+स्टिल्ट + भूतल + द्वितीय तल अधिकतम ऊँचाई 15.00 मीटर की तीन निवास इकाई की आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जावे। पूर्व अनुमोदित मानचित्रानुसार उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 689.78 व. मी. है जबकि स्वामित्व रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट अनुसार 690.04 व. मी. है। इस प्रकार पूर्व अनुमोदित मानचित्र से मौके पर 0.26 व. मी. भूमि अधिक है। जिसे नजरअंदाज किये जाने का निर्णय लिया गया। सरफेस कार पार्किंग की बैंक गारंटी व शपथ पत्र प्रस्तुत करने तथा समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावें। साथ ही पार्किंग का शपथ पत्र 10.1.8 अनुसार लिया जावें।”

उक्त निर्णय की अनुपालना में आवेदक को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 644 दिनांक 02.07.2014 द्वारा भवन विनियम 2010 की तालिका 1 टिप्पणी (xii) (घ) के प्रावधानुसार पार्किंग उपयोग हेतु स्टिल्ट अनिवार्य होने के कारण स्टिल्ट सहित संशोधित मानचित्र एवं पत्र में वर्णितानुसार मांग राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

आवेदक द्वारा रसीद सं. 9002/8190 दिनांक 11.07.2014 को 171946/- रूपये निगम कोष में जमा करवा दिये गये हैं। जमा रसीद की प्रति 211/सी पर संलग्न है।

तत्पश्चात् आवेदक द्वारा दिनांक 29.09.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया गया है:—



“श्रीमान् जी से निवेदन है कि मैं अपने स्वयं के रहने हेतु भवन निर्माण करवाना चाहती हूँ। अतः मेरे भूखण्ड के मानचित्र बिना स्टिल्ट फ्लोर के स्वीकृत करके जारी करने की कृपा करें।”

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 10(7) नविवि/3/2009 पार्ट-II दिनांक 20.09.2013 के बिन्दु सं. 3 तालिका एक की टिप्पणी सं. टिप्पणी (xii) (घ) “500 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 750 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित होने पर स्टिल्ट + 4 तल (अधिकतम 15 मीटर) तथा प्रत्येक मंजिल पर तीन निवास इकाई अनुज्ञेय की जा सकेगी, पार्किंग उपयोग हेतु स्टिल्ट का निर्माण अनिवार्य होगा। अंकित है जबकि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार बेसमेंट + भूतल + द्वितीय तल तक कुल तीन निवास इकाई प्रस्तावित की गयी हैं।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के पूर्व एजेण्डा की छाया प्रति संलग्न कर पुनः समिति के समक्ष स्टिल्ट फ्लोर के निर्णय बाबत् प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. प्रस्तावित बी+जी+2 तल (स्टील्ट के बिना) भवन को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. समिति द्वारा नगरीय विकास विभाग राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 10(7)नविवि/3/2009 पार्ट ग दिनांक 20.09.2013 के बिन्दु संख्या 3 तालिका 1 की टिप्पणी (xii) (घ) जो एजेण्डा में वर्णित है का अध्ययन किया गया व इस पर निर्णय लिया गया कि विषयान्तर्गत प्रस्तावित मानचित्र आवेदक द्वारा स्वयं के रहने हेतु (कुल 3 निवास ईकाई) प्रस्तावित है तथा भूखण्ड में आवश्यक पार्किंग हेतु सैटबैक क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। प्रस्तावित भवन फ्लैट की श्रेणी में नहीं है। अतः ऐसे भवन में आवेदक को स्टील्ट बनाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तावित मानचित्र को बिना स्टील्ट के अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. आवेदक से इस आशय का तस्वीक शुद्ध शपथ पत्र लिया जायें कि वह अनुमोदित मानचित्र अनुसार 3 निवास ईकाई का ही मौके पर निर्माण करेंगा व स्वयं के उपयोग हेतु ही भवन का उपयोग करेगा। उक्त शर्त की अवहेलना पाये जाने पर अनुमोदित मानचित्र स्वतः निरस्त माने जायेगे।
4. आवेदक से अन्य शुल्क के अलावा विकास शुल्क व परिधी विकास शुल्क भी लिये जाये क्योंकि यह प्राईवेट योजना का भूखण्ड है।
5. समर्त शुल्क जमा होने व तस्वीक शुद्ध शपथ पत्र लिये जाने के पश्चात मानचित्र जारी किये जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष) (सदस्य)



वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)



आषुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन — आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जाँच की गई — भवन विनियम—2010

1. प्रार्थी का नाम :— श्री अमजद अली कावा।
2. भूखण्ड सं./योजना :— 2/35, गोलीमार गार्डन योजना, नगर निगम कॉलोनी, आमेर रोड, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :—
 - (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— 116.09 व. मी.।
 - (ii) स्थल मानचित्र अनुसार :— 116.09 व. मी.।
 - (iii) मौका अनुसार :— 116.09 व. मी.। (3/एन)
4. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— गोलीमार गार्डन।
 - (ii) आवंटित :— हाँ।
5. सड़क की चौड़ाई :—
 - (i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :— 60'-0" व 30'-0"
 - (ii) मौके के अनुसार :— 60'-0" व 30'-0"
6. भू—उपयोग
 - (i) मास्टर प्लान के अनुसार :— आवासीय।
 - (ii) प्रस्तावित :— आवासीय।
 - (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग :— आवासीय।
7. मौका रिपोर्ट :— मौके के अनुसार वर्तमान में प्रार्थी वर्तमान में नगर निगम द्वारा आवंटित भूखण्ड 2/35 जिसकी पूर्व-पश्चिम $6.10+4.70 = 10.85$ मी. उत्तर-दक्षिण 10.70 मी. है। कुल क्षेत्रफल 116.09 वर्ग मीटर है। जिसको तुडवाकर पूर्व निर्माण भवन को तहखाना बनाने हेतु मिली खुदाई का कार्य करवा रहा है। प्रार्थी द्वारा भावन निर्माण स्वीकृति हेतु ग्रीन पत्रावली प्रस्तुत की गई है। जिसकी वर्तमान मौका का नजरिया नक्शानुसार है। जिसका कुल क्षेत्रफल 116.09 वर्ग मीटर है तथा आगे की तरफ 3.0 मी. व पीछे की तरफ 2.50 मी. सैटबैक छोड़ते हुए जी+2 फ्लोर की स्वीकृति चाही गई है। जो प्रस्तुत नक्शे में दर्शाया गया है।
 पत्रावली में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फाटोकॉपी व अण्डरेटिंग शपथ पत्र एवं समर्पणनामा प्रस्तुत किया है। यह भूखण्ड नगर निगम द्वारा दिनांक 25.07.2012 को गोपाल लाल भट्ट स्व. श्री मोती लाल भट्ट को नगर निगम द्वारा आवंटित किया गया। जिन्होंने श्री अमजद अली कावा पुत्र स्व. श्री अब्दुल गफूर द्वारा विक्रय किया गया है। दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है। जो नामाहस्ताक्षर के पश्चात नियमानुसार शुल्क लेकर व सैटबैक छोड़ते हुए स्वीकृति जारी करना उचित रहेगा। (3/एन)
8. स्वामित्व रिपोर्ट :— उक्त भूखण्ड कर्मचारी आवासीय योजना श्री गोपाल भट्ट को आवंटित किया गया था। जिसका नाम हस्तांतरण हो चुका है। जो कि पत्रावली में संलग्न है। जिसके अनुसार स्वामित्व सही प्रतीत होता है। (35/एन)
9. तकनीकी रिपोर्ट :—
 - (i) भवन के पैरामीटर्स :—

(1)	(1)	(4)
सैट बैक (चूनतम्)	भवन विनियम 2010 की तालिका "1" के अनुसार	प्रस्तुत मानवित्र अनुसार
अग्र	0.00 मी.	टाईप डिजायन अनुसार
साईड प्रथम	0.00 मी.	कट-आउट छोड़ा जाना
साईड द्वितीय	0.00 मी.	है
पीछे	0.00 मी.	
ऊँचाई	12.00 मी.	
मंजिल	जी + 2 तल	बी + जी + 2 तल
बेसमेंट	देय	प्रस्तावित
आच्छादन	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	100 प्रतिशत
एफ.ए.आर		

(ii) पार्किंग:- गणना की जानी है।

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान - आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान - आवश्यक नहीं है।

10. विचारणीय बिन्दु :-

6. वर्णित भूखण्ड कर्मचारी आवासीय योजना में श्री गोपाल भट्ट को $(6.10+4.75) \times 10.70 = 116.09$ व. मी. पूर्व में नगर निगम, आमेर जोन द्वारा भूखण्ड आवंटित किया गया था।
7. नगर निगम की टाईप डिजायन अनुसार $6.10 \times 10.70 = 65.27$ व. मी. का टाईप डिजायन दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
8. उक्त प्रार्थी का भूखण्ड कॉर्नर का होने के कारण $4.75 \times 10.70 = 50.82$ व. मी. कॉर्नर की एकस्ट्रा लैण्ड सहित आवंटित किया गया है।
9. आवेदक द्वारा आवंटित पूरे भूखण्ड 116.09 व. मी. पर निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।
10. मौके पर बेसमेंट का निर्माण कर लिया गया है।

11. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार भवन मानवित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य हैं।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आमेर डबलपमेन्ट ऑर्थोटी (ADMA) से स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायें कि जोरावर सिंह गेट से आमेर तक जो निर्माण नहीं दिये जाने बाबत उनके द्वारा पाबंदी लगाई गई है वह उक्त मुख्य सड़क पर स्थित भूखण्डों के लिए है या उक्त सड़क पर स्थित योजनाओं के सभी भूखण्डों पर निर्माण की पाबंदी है यथा सड़क से अन्दर स्थित भूखण्डों पर भी क्या निर्माण स्वीकृति नहीं दी जानी है।
2. आमेर डबलपमेन्ट ऑर्थोटी (ADMA) से जवाब प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई – भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री शंकर
2. भूखण्ड सं./योजना:— म.नं. 36 वेघपुरी आमागढ़ चौ.शर्की शुमाली।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्ग.मी. से कम होने के कारण उक्त प्रकरण इस समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आने के कारण प्रकरण पर विचार नहीं किया गया।

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	 अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	 वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	 आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)
--	--	--	--

प्रयोजन – पुनर्गठन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्री चेतन प्रकाश गोयल व अन्य।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 2 से 9, उदय नगर—ए, अजमेर रोड, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— उदय नगर—ए
 - (ii) आवंटित :— हाँ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के 6-13/एन अनुसार	मौके पैरा 18/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	2	600.00 व. ग.	600.00 व. ग.
	3	600.00 व. ग.	600.00 व. ग.
	4	600.00 व. ग.	600.00 व. ग.
	5	594.65 व. ग.	594.65 व. ग.
	6	427.35 व. ग.	427.95 व. ग.
	7	433.33 व. ग.	433.33 व. ग.
	8	433.33 व. ग.	433.33 व. ग.
	9	433.33 व. ग.	433.33 व. ग.
	प्रस्तावित पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल	4122.59 व. ग.	4122.59 व. ग.
			4122.59 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :—

- (i) योजना/ प्लान के अनुसार :— 60'-0" पश्चिमी, 30'-0" उत्तरी एवं 160'-0" दक्षिणी तरफ।
- (ii) मौके अनुसार :— 60'-0" पश्चिमी, 30'-0" उत्तरी एवं 165'-0" दक्षिणी तरफ। (18/एन)
6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण :— कॉर्नर भूखण्ड की गोलाई रेडियस 15'-0" है। पुनर्गठन होने पर सैटबैक दूरी में वृद्धि हो गई है। पुनर्गठित कॉर्नर भूखण्ड के दोनों कॉर्नर की गोलाई रेडियस 30'-0" किया जाना है। यदि रेडियस 15'-0" के स्थान पर 30'-0" किया जाता है तो दोनों कॉर्नर गोलाई हेतु 32.12 व. मी. भू-पट्टी आवेदक द्वारा नगर निगम, जयपुर के हित में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
7. स्वामित्व रिपोर्ट :— पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रतियां अनुसार भू. सं. 2 से 9, उदय नगर—ए पर श्री चेतन प्रकाश गोयल, श्री निपुण प्रकाश गोयल, श्रीमती दिप्ती प्रकाश का संयुक्त रूपसे 4122.59 व. ग. पर स्वामित्व सही जाहिर होता है। (13/एन)
8. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड पर टीनशेड के कुछ रूम्स साईड में बने हुए हैं तथा कुछ टॉयलेट बने हुए हैं। वर्तमान में भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। मौके की स्थिति स्केचानुसार है। मौके पर भूखण्ड पर बाउण्ड्रीवाल कुछ भाग में बनी हुई नहीं है। बाउण्ड्रीवाल पर टीनशेड व स्टील के पिलर खड़े किए हुआ हैं मौके पर भूखण्ड की स्थिति स्केचानुसार है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 4122.59 व. ग. है। (18/एन)
9. प्रस्तावित पुनर्गठन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेंडा में उपलब्ध है।
10. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड संख्या						पैरामीटर	मूल भूखण्ड संख्या		पैरामीटर	प्रस्तावित भू. सं. 2 से 9 पर देय पैरामीटर
	2	3	4	7	8	9		5	6		
F	30'	25'	20'	15'	15'	15'	F1	25' (160' सड़क)	15' (60' सड़क)	F1	40'-0" (12.00 मी.)
S1	10'	10'	10'	10'	10'	10'	F2	15' (60' सड़क)	15' (30' सड़क)	F2	30'-0" (9.00 मी.)
S2	10'	10'	10'	10'	10'	10'	S1	10'	10'	F3	30'-0" (9.00 मी.)
R	10'	10'	10'	10'	10'	10'	S2	10'	10'	S	30'-0" (9.00 मी.)

11. टिप्पणी :—

1. प्रस्तावित पुनर्गठन में मूल भूखण्ड के सैट बैक भवन विनियम 2010 की तालिका "1" अनुसार रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।
2. कॉर्नर भूखण्ड की गोलाई रेडियस 15'-0" है। पुनर्गठन होने पर सैटबैक दूरी में वृद्धि हो गई है। पुनर्गठित कॉर्नर भूखण्ड के दोनों कॉर्नर की गोलाई रेडियस 30'-0" किया जाना है। यदि रेडियस 15'-0" के स्थान पर 30'-0" किया जाता है तो दोनों कॉर्नर गोलाई हेतु 32.12 व. मी. भू-पट्टी आवेदक द्वारा नगर निगम,

जयपुर के हित में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। इस बाबत् निर्णय लिया जाना है।

3. पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500.00 व. ग. से अधिक है। अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

12. शुल्क

- भू. सं. 2 से 9 तक

i. पुनर्गठन शुल्क (100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)	3,44,701/- रुपये।
ii. वी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)	86,176/- रुपये।

13. प्रस्ताव :— उपरोक्तानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् पुनर्गठन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

समिति का निर्णय— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. प्रकरण का परीक्षण उदय नगर—ए अजमेर रोड, योजना मानचित्र के साथ व राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के सन्दर्भ में करवाया जाकर पुनः प्रस्तुत किया जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

आति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :– डा० शशि इन्दुलिया।
2. भू. सं./योजना का नाम :– मीनावाला, सिरसी रोड, जयपुर।
3. क्षेत्रफल का विवरण :–

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दरस्तावेजों के अनुसार (2-15/सी.)	मौके पैरा 7/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	360.00 व. ग. (301.00 व. मी.)	360.00 व. ग. (301.00 व. मी.)	—
प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड पश्चिमी भाग का क्षेत्रफल	174.00 व. ग. (145.49 व. मी.)	174.00 व. ग. (145.49 व. मी.)	147.00 व. ग.

4. प्रकरण के तथ्य :– प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 में प्रस्ताव सं. 34 पर विचारार्थ रखा गया था। “समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन किया गया। एजेण्डा में स्वामित्व रिपोर्ट अंकित नहीं है। अतः आयुक्त (राजस्व) से स्वामित्व रिपोर्ट लिये जाने का निर्णय लिया गया।”

उक्त निर्णय की अनुपालना में स्वामित्व रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जो निम्नानुसार हैः—

“रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पत्रावली में संलग्न है, अवलोकनीय है। संलग्न दस्तावेजों के अनुसार वर्तमान में डा० शशि इन्दुलिया का 174.00 व. मी. पर स्वामित्व है। (74-76/एन)

अतः प्रश्नगत प्रकरण के पूर्व एजेण्डा की छाया प्रति संलग्न कर पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. प्रकरण में मौके पर विषयान्तर्गत भूखण्ड के तीनों तरफ सङ्क की चौड़ाई क्या है इस बाबत राजस्व रिकोर्ड से परीक्षण कराया जाये। प्रश्नगत भूखण्ड के पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित भूमि की किस्म क्या है। उपविभाजन नियम अनुसार सङ्क की चौड़ाई किये जाने हेतु कितनी भूमि आवेदक से व दूसरी तरफ के पड़ोसी से समर्पित कराई जानी है। इस बाबत स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्ति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – पुनर्गठन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती इन्द्रा शर्मा।
2. दुकान सं./योजना का नाम :— 5 व 6, श्रीराम मार्केट, गोविन्द मार्ग शॉपिंग सेन्टर, आदर्श नगर, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— राजापार्क।
 - (ii) आवंटित :— हों।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके पैरा 12/एन अनुसार
दुकान सं०	5 22.22 व. ग.	22.22 व. ग.	22.22 व. ग.
	6 22.22 व. ग.	22.22 व. ग.	22.22 व. ग.
प्रस्तावित पुनर्गठन	44.44 व. ग.	44.44 व. ग.	44.44 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :—

- (i) योजना/प्लान के अनुसार :— अंकित नहीं।
- (ii) मौके अनुसार :— 23'-6" (12/एन)
6. स्वामित्व रिपोर्ट :— आवेदिका श्रीमती इन्द्रा शर्मा का स्वामित्व सही होने की पुष्टि संलग्न दस्तावेजों की छाया प्रति से होती है। (24/एन)
7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर दुकान नं. 5 व 6 को ज्वाइन्ट कर उपयोग में किया जा रहा है मौके की स्थिति स्केचानुसार हैं मौके पर दुकान नं. 6 का क्षेत्रफल $10'0'' \times 20'0'' = 22.22$ व. ग. है। मौके पर दुकान में गैस एजेन्सी चल रही है व रोड की तरफ $6'0'' \times 20'0'' = 13.33$ व. ग. का दुकान नं. 5 के टच होते हुए लैट एवं बाथ बने हुए हैं। (12/एन)
8. प्रस्तावित पुनर्गठन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।
9. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	दुकान संख्या 5	पैरामीटर	दुकान संख्या 6	पैरामीटर	प्रस्तावित पुनर्गठित दुकान पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	0'-0"	अग्र	0'-0"	अग्र प्रथम	0'-0"
अग्र द्वितीय	0'-0"	साइड प्रथम	0'-0"	अग्र द्वितीय	0'-0"
साइड प्रथम	0'-0"	साइड द्वितीय	0'-0"	साइड प्रथम	0'-0"
साइड द्वितीय	0'-0"	पीछे	0'-0"	साइड द्वितीय	0'-0"

10. टिप्पणी :—

1. प्रस्तावित पुनर्गठन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार क्रमशः दुकान नं. 5 व 6 को मिलाकर $10'0'' \times 20'0'' = 22.22$ व. ग. व $10'0'' \times 20'0'' = 22.22$ व. ग. कुल 44.44 व. ग. का पुनर्गठन चाहा गया है।
3. मौका रिपोर्ट अनुसार दोनों दुकानों में गैस एजेन्सी का कार्य चल रहा है।

4. मौका रिपोर्ट अनुसार दुकान नं. 5 में रोड की तरफ $6'-0'' \times 20'-0'' = 13.33$ व. ग. पर कब्जा किया हुआ है जो सड़क का भाग है।
 5. पैरा 41/एन पर अंकित मौका रिपोर्ट अनुसार "मौके पर W/C & Bath की ओर प्रार्थी ने (door बन्द) ने दीवार खड़ी करके बंद कर दिया है तथा प्रार्थी का आज दिनांक को कोई कब्जा W/C & Bath पर नहीं है। इसके फोटोग्राफ सत्यापित कर पत्रावली में पृ. सं. 18-19/सी पर संलग्न कर दिए हैं।
11. **प्रस्ताव** :- उपरोक्तानुसार $6'-0'' \times 20'-0'' = 13.33$ व. ग. सड़क के भाग पर आवेदक द्वारा कब्जा किया हुआ है, जिसे वर्तमान में अंदर से दरवाजे से बंद किया हुआ है। उक्त भाग से कब्जा हटाने के पश्चात् पुनर्गठन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. एजेण्डा के प्रयोजन में त्रृटिवश आवासीय अंकित है जिसे सही व्यवसायिक अंकित कराया जायें।
2. आवेदक द्वारा सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण किया हुआ है। उसे सर्वप्रथम हटाया जायें। अतिक्रमण हटाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जायें।

 मुख्य कायेकर्ता/अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	 अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	 वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	 आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)
--	--	---	--

प्रयोजन – स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जाँच की गई— भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती निर्मला शर्मा।
2. भूखण्ड सं./योजना:— 1210, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :— 554.62 व. ग. (463.73 व. मी.)
4. सड़क की चौड़ाई :—
5. प्रकरण के तथ्य :— प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 24.06.2014 में प्रस्ताव सं. 14 पर विचारार्थ रखा गया था। 'समिति द्वारा पत्रावली व एजेण्डा का अवलोकन कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया कि स्टिल्ट + तृतीय तल कुल ऊँचाई 12.00 मी. (स्टिल्ट सहित) के स्वतंत्र आवासीय मानचित्र निम्न शर्तों के साथ जारी किये जावें—

1. आवेदक द्वारा सउक मार्गाधिकार को 40'-0" चौड़ा किये जाने हेतु 2'-9"X58'-0" = 14.82 व. मी. भूमि सड़क हेतु निःशुल्क समर्पित करवाई जावे एवं आवेदक द्वारा कॉर्नर भूखण्ड में 15'-0" रेडियस की गोलाई कर शेष 4.50 व. मी. भूमि सड़क हेतु छुड़वाई जावे।
2. सड़क चौड़ाई हेतु भूमि समर्पण के पश्चात् संशोधित पार्किंग प्लान लेकर नियमानुसार प्राप्त एफ.ए.आर. दिया जावे।
3. स्टिल्ट व टेरेस फ्लोर प्लान, फ्रन्ट और लैफ्ट एलीवेशन व सैक्षण में नियमानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे।
4. पार्किंग का शपथ पत्र 10.1.४ अनुसार लिया जाना है।
5. उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 500.00 व. मी. से कम क्षेत्रफल का है। अतः शारीरिक रूपसे विकलांग व्यक्तियों हेतु पार्किंग की आवश्यकता नहीं है।
6. सरफेस कार पार्किंग हेतु बैंक गारंटी एवं शपथ पत्र लिया जावे। साथ ही समस्त शुल्क जमा होने के बाद मानचित्र जारी किये जायें।

उक्त निर्णय के बिन्दु सं. 1 बाबत् आवेदक द्वारा पत्र (47/सी) पेश कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी के भूखण्ड के सामने सड़क पार स्थित भू. सं. 12 व 13 गोपालपुरा-॥ योजना द्वारा सड़क पर 5'-0" अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो निम्नानुसार है:—

"मौके पर प्लाट नं. 1210 के सामने प्लाट सं. 12 व प्लाट सं. 13 की नाप की गयी। दोनों प्लाट की गहराई 60'-0" नापी गयी है परंतु पत्रावली में संलग्न प्लाट सं. 13 (49/सी) का साईट प्लान जयपुर विकास प्राधिकरण से जारी में प्लाट की साईज 30'-0"X55'-0" पैमाईश अंकित है। (37-38/एन)"

उक्त 5'-0" चौड़ी भू-पट्टी का अतिकमण हटने पर सड़क में शामिल होने पर मौके पर सड़क की चौड़ाई (34'-6"+5'-0") = 39'-6" उपलब्ध हो जाती है। (44/एन)


आवेदक से सड़क मार्गाधिकार को 40'-0" चौड़ा किये जाने हेतु 0'-3"X58'-0" = 1.35 व. मी. भूमि सड़क हेतु निःशुल्क समर्पित करवाई जावे एवं आवेदक द्वारा कॉर्नर भूखण्ड में 15'-0" रेडियस की गोलाई कर शेष 4.50 व. मी. भूमि कॉर्नर गोलाई हेतु छुड़वाई जावे। कुल समर्पित भूमि 1.35+4.50 = 5.85 व. मी. है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के पूर्व एजेण्डा की छाया प्रति संलग्न कर पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

- प्रश्नगत भूखण्ड के सामने के ब्लाक का संबंधित पत्रावलियाँ से परीक्षण करे कि क्या पुरा ब्लाक सड़क पर 5 फीट आगे बढ़ गया है। स्पष्ट प्रस्ताव देवे।
- निर्णय के बिन्दु 1 की स्पष्ट रिपोर्ट व प्रस्ताव के साथ प्रकरण को पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जायें।

२१/११/१
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री अरुण चौधरी

2. मू. सं./योजना का नाम :— 484/4, (गली नं. 4), राजापार्क, जयपुर।

3. प्रकरण के तथ्य :— भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 28.11.2013 में प्रश्नगत भूखण्ड के उपविभाजन का निर्णय लिया गया था। लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी को पत्रांक 2718 दिनांक 20.12.2013 एवं 3020 दिनांक 07.02.2014 द्वारा मांग पत्र भेजा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक राशि एवं अन्य दस्तावेज जमा नहीं कराये गये।

4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाव नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री नरेन्द्र मोहन जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन।

श्री ओमप्रकाश डंगायच पुत्र श्री रामेश्वर लाल।


2. भू. सं./योजना का नाम :— बी-66, आनन्दपुरी, जयपुर।


3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 139 दिनांक 09.02.2013, 1390 दिनांक 03.07.2013, 1425 दिनांक 05.07.2013 एवं 3009 दिनांक 07.02.2014 द्वारा उपविभाजन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखे गये थे। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक उपविभाजन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।


4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफतर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)


अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री गंगाधर व श्री कजौड़मल।
2. भू सं./योजना का नाम :— बी-34, आनन्दपुरी, आदर्श नगर, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 171 दिनांक 15.02.2013, 1393 दिनांक 03.07.2013 एवं 3004 दिनांक 07.02.2014 द्वारा सही उपविभाजन मानचित्र मय वास्तुविद्व के हस्ताक्षर मागे गये थे। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक पत्रों का जबाब नहीं दिया गया है।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	 अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	 वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदरय सचिव)	 आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)
---	---	---	---

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री सौरभ कुमार बरमेचा एवं श्री सुमित कुमार बरमेचा।
2. भू. सं./योजना का नाम :— ई-12, आनन्दपुरी, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 190 दिनांक 18.02.2013, 1417 दिनांक 05.07.2013, 2616 दिनांक 11.12.2013 एवं 3000 दिनांक 07.02.2014 द्वारा मौके के अनुसार क्षेत्रफल अंकित करते हुये उपविभाजन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजे गये थे। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक पत्रों के जवाब नहीं दिये गये।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

२१११४

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

मुमुक्षु
अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

२२२२
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

३३३३
आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री उत्पल चकवती।
2. भू. सं./योजना का नाम :— बी-37, प्रभु मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 3225 दिनांक 11.03.2014, 101 दिनांक 24.04.2014 एवं 476 दिनांक 16.06.2014 द्वारा भू-खण्ड के अग्र सेट बैंक, साईड सेट बैंक एवं पाश्वर सेट बैंक में हुये निर्माण के संबंध में दस्तावेज प्रेषित करने हेतु पत्र भेजा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक राशि एवं अन्य दस्तावेज जमा नहीं कराये गये।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल टप्टर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती हर्ष बहल पत्नी श्री अरुण बहल।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 446, गली नं. 4, राजापार्क, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 1953 दिनांक 13.09.2013 द्वारा अग्र सैट बैंक में अनाधिकृत निर्माण बाबत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। तत्पश्चात पत्रांक 2318 दिनांक 18.10.2013 एवं 258 दिनांक 15.05.2014 द्वारा प्रार्थी को रोड पर टीन शेट डालकर किये गये नाजायज कब्जे को हटाने हेतु लिखा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक न ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये। और न ही सड़क से नाजायज कब्जा हटाकर निगम को सूचित किया गया।
4. प्रस्ताव :— निम्नांकित प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत हैः—

- i. प्रार्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफतर किया जाना प्रस्तावित है।
- ii. प्रार्थी द्वारा सड़क पर नाजायज कब्जा है, जिसे हटाया नहीं गया है, अतः आयुक्त मोती ढूंगरी जोन को उक्त नाजायज कब्जा हटाया जाने हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. आवेदक द्वारा सड़क की भूमि पर जो कब्जा किया हुआ है उसे हटाने हेतु सूचित किया जायें व उक्त कब्जे को हटाने हेतु सम्बन्धित जोन आयुक्त को भी निर्देशित किया जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

२५१९११

२५१९११

२५१९११

२५१९११

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री रविप्रकाश पालीवाल।
2. भू. सं./योजना का नाम :— ९, पुरानी सब्जी मण्डी के पीछे, वनस्थली के पास, अजमेरी गोट, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्राक 1963 दिनांक 16.09.2013 एवं 3027 दिनांक 07.02.2014 द्वारा प्रस्तावित उपविभाजित भाग का पी.टी. सर्वे प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजे गये थे। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई जबाब नहीं दिया गया।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री मनोहर खुशलानी एवं श्रीमती मधु खुशलानी।
2. भू सं./योजना का नाम :— बी-13, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— एम्पावर्ड कमेटी (भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति) की बैठक दिनांक 27.11.2013 में प्रश्नगत भूखण्ड के उपविभाजन का निर्णय लिया गया था। लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी को पत्रांक 2711 दिनांक 20.12.2013, 3123 दिनांक 19.02.2014 एवं 1286 दिनांक 19.09.2014 द्वारा मांग पत्र भेजा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक राशि एवं अन्य दस्तावेज जमा नहीं कराये गये।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अ. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री गिरीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री घनश्याम दास अग्रवाल।
2. भू सं./योजना का नाम :— सी-93, जगराज मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 1675 दिनांक 06.08.2013, 2043 दिनांक 26.09.2013 एवं 3014 दिनांक 07.02.2014 द्वारा अग्र सेट बैंक में अनियमित निर्माण के संबंध में दस्तावेज मांगे गये थे। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक दस्तावेज जमा नहीं कराये गये।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

३११५

मुख्य कायकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

३११८-१११

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

३११९

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— मैसर्स एस.एम.एल.टी. बिल्डकॉन प्रा. लि.।
2. भू सं./योजना का नाम :— 826-827, आदर्श नगर, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 29.01.2014 में प्रश्नगत भूखण्ड के उपविभाजन का निर्णय लिया गया था। लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी को पत्रांक 3093 दिनांक 18.02.2014, एवं 477 दिनांक 16.06.2014 द्वारा मांग पत्र भेजा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक राशि एवं अन्य दस्तावेज जमा नहीं कराये गये।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफतर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष) (सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— होटल श्यामपुरिया पैलेस।
2. भूखण्ड सं./योजना:— 8, ग्राम सुदर्शनपुरा, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— भूखण्डधारी द्वारा दिनांक 13.09.2013 को आवेदन पेश कर उक्त भूखण्ड पर व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी थी। पत्रावली में स्वामित्व रिपोर्ट लिये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम सुदर्शनपुरा, तहसील जयपुर के खसरा नं. 59/196 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा किस्म जमीन चाही 3 में स्थित है अर्थात् आवेदक द्वारा व्यावसायिक स्वीकृति चाही गयी है। उक्त भूखण्ड की धारा 90-ए के अनुसार किस्म परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। अतः किस्म परिवर्तन कराने हेतु दिनांक 06.01.2014 को सूचित किया जा चुका है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय पत्र दिनांक 06.01.2014 के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती कमला देवी शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा।
2. भू सं./योजना का नाम :— 74, जतिजी की बगीची, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर के भवन निर्माण अनुमति बाबत।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 3070 दिनांक 12.02.2014 एवं 489 दिनांक 16.06.2014 द्वारा संशोधित मानचित्र मार्गे गये थे। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफतर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जाँच की गई – भवन विनियम—2010

1. प्रार्थी का नाम :— मैसर्स शुभ लक्ष्मी कन्सल्टेंट्स प्रा. लि।
2. भूखण्ड सं./योजना:- 4-बी, दुर्लभ निवास, एम. आई. रोड, विनोबा बरती के पास, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :- 493.40 व. मी. (प्रस्तुत मानचित्रानुसार)
4. प्रकरण के तथ्य :— उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8 (क) (या) (9) डीएलबी/10/1348 दिनांक 26.05.2010 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, 73 (भूमि निष्पादन के प्रकरण के संबंध में) व 171 (भूखण्ड का उपविभाजन एवं संयुक्तीकरण आदि नियम 1975 से संबंधित कार्य) के अनुसार मण्डल में निहित अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को प्रदत्त किये हैं। उक्त अधिकारों के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ- 13 () व. न. नियो. /जननि./2010/304 दिनांक 01.06.2010 के द्वारा प्रकरणों की प्रारम्भिक समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की बैठक सं. 03/2010 दिनांक 10.06.2010 में प्रस्ताव सं. 02 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति की प्रारम्भिक समीक्षा रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

‘समिति द्वारा पत्रावली व एजेंडा का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार प्रेषित नोटिस का जबाब नहीं दिया है। अतः यदि प्रार्थी द्वारा भवन मानचित्र परीक्षण शुल्क जमा कराया हो तो उसे जब्त करते हुए पत्रावली निरस्त कर आवेदक को सूचित किये जाने तथा मौके पर यदि बिना स्वीकृति अवैध निर्माण किया गया है, तो जोन स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अभिशंषा है। प्रकरण अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को प्रस्तुत है।’

उक्त समीक्षा रिपोर्ट श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय (दिनांक 23.06.2010) द्वारा अनुमोदित है। (50/एन)

उक्त समीक्षा रिपोर्ट की अनुपालना में आयुक्त, सिविल लाइनजोन को पत्र (102/सी) भेजा गया एवं आवेदक को पत्रावली निरस्त बाबत् सूचना पत्र (103/सी) भेजा गया। (दिनांक 02.07.2014)

- प्रार्थी द्वारा आवासीय भवन के नाम से मानचित्र प्रस्तुत किये हुये हैं जबकि मौका रिपोर्ट 65 व 68/एन अनुसार मौके पर बेसमेंट व भूतल का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है।
 - प्रार्थी को मौके पर हो रही व्यावसायिक गतिविधियां हटाने बाबत् सूचना पत्र (112/सी) भेजा गया। (दिनांक 26.11.2012)
 - प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक मौके पर हो रही व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हटाई गई हैं।
 - मास्टर प्लान 2025 में प्रश्नगत प्रकरण के स्थान का भू-उपयोग आवासीय है।
5. प्रस्ताव :— उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा मौके पर हो रही व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हटायी गयी हैं। अतः पत्रावली निरस्त योग्य है।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय— समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा मौके पर भवन में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित किये जाने के कारण व भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर प्लान-2025 के अनुसार आवासीय होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री भंवर लाल राही पुत्र श्री नानगराम।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 92-ए, हाथी बाबू का हत्था, कान्ति नगर, स्टेशन रोड, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 571 दिनांक 10.09.2012, 396 दिनांक 16.11.2012 एवं 445 दिनांक 28.08.2014 द्वारा प्रार्थी को सही नाप के उपविभाजन मानचित्र एवं स्वामित्व के प्रमाणित दस्तावेजों की चेन प्रस्तुत करने बाबत पत्र भेजे गये थे। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक जबाब नहीं दिया गया है।
4. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

२११८०८
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

मुख्य
अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

२२२२२२
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

३३३३३३
आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री सत्यपाल जौली।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 832, आदर्श नगर, जयपुर।
3. प्रकरण के तथ्य :— प्रार्थी को पत्रांक 3210 दिनांक 10.03.2014 एवं 475 दिनांक 16.06.2014 द्वारा अग्र सेट बेक एवं साईड व पिछे के सेट में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में दस्तावेज मागे गये थे। जो की प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक जमा नहीं कराये गये।
4. प्रस्ताव:- प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

सामेति का निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

विषय - निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री अमित माथुर व अन्य
 2. भू सं./योजना का नाम :— सी-148, बापू नगर, जयपुर।
 3. प्रयोजन:—आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।
 4. प्रकरण के तथ्य :— प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 09.06.2014 में रखा गया था। जिसमें आवासीय निर्माण स्वीकृति अनुमोदित की गई थी। समिति के निर्णय अनुसार प्रार्थी को पत्रांक 566 दिनांक 25.06.2014 एवं 1309 दिनांक 23.09.2014 द्वारा मांग पत्र भेजा गया परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक मांग पत्र का कोई जबाब नहीं दिया गया।
 5. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण निम्नांकित प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
 1. प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।
 2. आयुक्त मोती झूंगरी जोन को लिखा जावे की प्रार्थी द्वारा यदि मौके पर बिना स्वीकृति कोई निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें।
- समिति का निर्णयः—** समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।
1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
 2. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये मौके पर निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित जोन आयुक्त कार्यवाही करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

विषय – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती सोनिया चौधरी
 2. भू. सं./योजना का नाम :— 484/4, राजापार्क, जयपुर।
 3. प्रयोजन:—उपविभाजन बाबत।
 4. प्रकरण के तथ्य :— प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 28.11.2013 में रखा गया था। जिसमें प्रकरण को पुनः तकनीकी परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण को पुनः भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 में उपविभाजन का निर्णय लिया गया। लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी को पत्रांक 1238 दिनांक 16.09.2014 द्वारा मांग पत्र भेजा गया परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक मांग पत्र का कोई जबाब नहीं दिया गया।
 5. प्रस्ताव:— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण निम्नांकित प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
 1. प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।
 2. आयुक्त मोती ढूंगरी जोन को लिखा जावे की प्रार्थी द्वारा यदि मौके पर बिना स्वीकृति कोई निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें।
- समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।
1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
 2. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये मौके पर निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित जोन आयुक्त कार्यवाही करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

विषय – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री परम विजय माथुर
2. भू. सं./योजना का नाम :— सी-128, बापू नगर, जयपुर
3. प्रयोजन:—उपविभाजन बाबत।

1. प्रकरण के तथ्य :— प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 21.10.2011 में रखा गया था। जिसमें निदेशक (विधि) द्वारा दी गई राय के अनुसार बढ़ी हुई जमीन का निर्णय आयुक्त (राजस्व) द्वारा पत्रावली पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है, इस संबंध में प्रार्थी को पत्रांक 799 दिनांक 08.12.11, 937 दिनांक 12.01.12, 1103 दिनांक 13.03.12, 183 दिनांक 22.05.12 लिखे गये परन्तु प्रार्थी द्वारा पी.टी. सर्वे उपलब्ध नहीं करवाये गये।


उसके बाद प्रकरण को बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 09.09.2014 में रखा गया जिसमें प्रार्थी को पी.टी. सर्वे उपलब्ध करवाने हेतु 7 दिवस का अन्तिम अवसर दिया जायें।


उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी को पत्रांक 1241 दिनांक 16.09.2014 भेजा गया परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी उपविभाजन नहीं कराना चाहता।

5. प्रस्ताव:— प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष) (सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन — गेस्ट हाउस भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जाँच की गई— भवन विनियम—2010

1. प्रार्थी का नाम :— मैसर्स हरी वाय एण्ड ज्वैलरी कम्पनी (पार्टनरशिप फर्म)।
जरिये पार्टनर श्री तरुण बीलवाल।

2. भूखण्ड सं./योजना :— सी—24 सी, भगवानदास रोड, सी—स्कीम, जयपुर।

3. क्षेत्रफल :—

(i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— 746.12 व. ग. (623.84 व. मी.)

(ii) उपविभाजन मानचित्र अनुसार :— 746.12 व. ग. (623.84 व. मी.)

(iii) मौका अनुसार :— 746.12 व. ग. (623.84 व. मी.)

4. भूखण्ड का प्रकार :—

(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— सी—स्कीम।

(ii) आवंटित :— हाँ।

5. सड़क की चौड़ाई :—

(i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :— 120'—0"

(ii) मौके के अनुसार :— 90'—0"

6. भू—उपयोग

(i) मास्टर प्लान के अनुसार :— आवासीय।

(ii) प्रस्तावित :— गेस्ट हाउस।

(iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग :— निर्माणाधीन।

7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड पर बेसमेंट व ग्राउण्ड फ्लोर के कॉलम कास्ट किए हुए हैं। मौके पर बेसमेंट 77/4/सी पर दिखाए अनुसार है। रैम्प में इन्हीं 3.35 मी. के स्थान पर 3.20 मी. है। भूखण्ड पर वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। (176/एन)

मौके पर भूखण्ड पर निर्माण की स्थिति 80/1/सी पर पत्रावली में संलग्न मानचित्र के अनुसार है। बेसमेंटमें एक स्टोर बना हुआ है। मौके पर भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। (190/एन)

8. स्वामित्व रिपोर्ट :— पत्रावली के पैरा 10/एन अनुसार स्वामित्व हस्तांतरण सी—24—सी, भगवानदास का जारी किया जा चुका है। पृ. सं. 28/सी।

9. तकनीकी रिपोर्ट :—

(i) भवन के पैरामीटर्स :—

(1)	(2)	(3)	(4)
सेट (चूनतम)	बैंक	अनुमोदित उपविभाजन मानचित्रानुसार	भवन विनियम 2010 की तालिका "1" (अ) की टिप्पणी (iii) अनुसार प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	20'-0"	20'-0"	20'-0" (6.10 मी.)
साईड प्रथम	0'-0"	0'-0"	10'-0" (3.05 मी.)
साईड द्वितीय	5'-0"	5'-0"	7'-6" (2.29 मी.)
पीछे	0'-0"	0'-0"	10'-0" (3.05 मी.)

ऊँचाई	-	12.00 मी.	13.51 मी.
मंजिल	-	एस+जी+3 तल	बी+एस+3 तल
आच्छादन	-	सॉटवेंक क्षेत्र के अंदर	53.01 प्रतिशत
एफ.ए.आर	-	1.2	गणना की जानी है।

(ii) पार्किंग:- भवन विनियम अनुसार = गणना की जानी है।

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान – आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान – आवश्यक है, प्रस्तावित है।

10. विचारणीय बिन्दु :-

- प्रश्नगत प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 18.10.2012 में प्रस्ताव सं. 02 पर स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति हेतु विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा प्रकरण का एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन कर प्रकरण पर विस्तार से विचार-विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :–
प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 18.09.2012 में विचारार्थ रखा गया था। जिसमें त्रुटिवश यह टंकित हो गया था कि “प्रकरण को स्थगित किया गया। आगामी बैठक में रखा जावे।”

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त की जगह यह पढ़ा जावे कि “प्रकरण में मौके पर बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये गये जो निर्माण किया गया है उनकी नियमानुसार शास्ती लेकर निर्माण स्वीकृति प्रदान की जावे।”

उक्त निर्णय की पालना में आवेदक को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1287 दिनांक 16.11.2012 को राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया था।

उक्त पत्र के संदर्भ में आवेदक द्वारा दिनांक 19.12.2012 को प्रार्थना पत्र के साथ गेस्ट हाउस हेतु भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं।


- प्रस्तुत मानचित्रानुसार आवेदक द्वारा बेसमेंट (निर्मित) + स्टिल्ट फ्लोर + तृतीय तल तक कुल 13.51 मी. ऊँचाई की गेस्ट हाउस भवन निर्माण स्वीकृति चाही गई है।
- मौके पर रिपोर्ट अनुसार बेसमेंट में जाने हेतु पार्किंग की रैम्प की चौड़ाई 3.35 मी. के स्थान पर 3.20 मी. चौड़ाई पर निर्मित है जबकि भवन विनियम 2010 के नियम 9.5 में वर्णितानुसार ‘रैम्प आने व जाने के लिए अलग-अलग होने पर न्यूनतम चौड़ाई 3.3 मी. एवं आने-जाने के लिए एक ही होने पर न्यूनतम चौड़ाई 6.00 मी. रखनी होगी।’ अंकित है।
- निर्णयोपरांत शुल्क आदि की गणना किया जाना प्रस्तावित है।

11. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार निर्णयोपरांत भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. विषयान्तर्गत प्रकरण नियमितिकरण/नियमबद्ध का है, अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को सम्बन्धित अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के समुख प्रस्तुत किया जायें।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)




अ.ति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


विश्व नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

विषय – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री देवेन्द्र शर्मा व अन्य
 2. भू सं./योजना का नाम :— 29 सी, गोविन्द मार्ग, जयपुर।
 3. प्रयोजन:—आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।
 4. प्रकरण के तथ्य :— प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 09.06.2014 में रखा गया था। जिसमें आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति के अनुमोदन का निर्णय लिया गया था। लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी को पत्रांक 602 दिनांक 27.06.2014 एवं 1373 दिनांक 13.10.2014 द्वारा मांग पत्र भेजे गये परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक मांग पत्र का कोई जबाब नहीं दिया गया।
 5. प्रस्ताव:— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण निम्नांकित प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
 1. प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।
 2. आयुक्त मोती ढूंगरी जोन को लिखा जावे की प्रार्थी द्वारा यदि मौके पर बिना स्वीकृति कोई निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें।
- समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।
1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
 2. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये मौके पर निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित जोन आयुक्त कार्यवाही करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)



वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)



आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्री पन्ना लाल पाड़या।
2. भू. सं./योजना का नाम :— एफ-37, धीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
3. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के 19 व 27/एन अनुसार	मौके पैरा 34/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	585.37 व. ग.	588.50 व. ग.	585.37 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	243.15 व. ग.	243.15 व. ग.	243.148 व. ग.

4. प्रकरण के तथ्य :— प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 में प्रस्ताव सं. 07 पर विचारार्थ रखा गया था। ‘समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्माण कार्य चल रहा है। पत्रावली अनुसार उक्त निर्माण बिना स्वीकृति निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त, विद्याधर जोन, नगर निगम, जयपुर को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 749 दिनांक 14.07.2014 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार अग्र सैटबैक नियमानुसार 15'-0" छोड़ते हुये साईड एवं पीछे के सैटबैक में नियमविरुद्ध निर्माण किया जा रहा है। अतः निर्णय लिया गया कि “सैटबैक में जो नियमविरुद्ध निर्माण हो रहा है, उसे अविलम्ब हटाकर प्रार्थी सूचित करें। साथ ही आयुक्त, विद्याधर जोन को भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा जावे।”

उक्त निर्णय की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1228 दिनांक 15.09.2014 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया था। उक्त पत्र के संदर्भ में आवेदक द्वारा दिनांक 18.09.2014 को आवेदन पत्र मय शपथ पत्र (पृ. सं. 86-87/सी) प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया गया है:—

“मैंने मकान सं. एफ-37, धीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर पर पिछले चार माह से निर्माण कार्य बंद करवा रखा है। मैंने अग्र भाग में 15 फीट का सैटबैक छोड़ा है एवं पीछे व साईड में भी सैटबैक छोड़ा है अगर पीछे व साईड के सैटबैक में यदि कोई अवैध निर्माण हुआ है तो मैं उसके कम्पाउडिंग के लिये आवेदन कर दूंगा और अगर कोई निर्माण कम्पाउडिंग योग्य नहीं हुआ तो मैं वह निर्माण हटा लूंगा एवं निगम द्वारा नक्शा अनुमोदित करवाकर अपना निर्माण आरम्भ करूंगा।

इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि निगम के दिनांक 19 फरवरी, 2010 के आदेशानुसार भी यह प्रतीत होता है कि अग्र सैटबैक में अगर अवैध निर्माण न हो तो उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकता है पर अवैध निर्माण का नियमान नहीं माना जायेगा। कृपया उक्त भूखण्ड का विभाजन कर नाम हस्तांतरण किया जावे ताकि मैं कम्पाउडिंग हेतु आवेदन कर सकूं।”

इसी प्रकार का एक प्रकरण भू. सं. ए-15, सैन कॉलोनी, जयपुर में माननीय उच्च न्यायालय में वाद सं. 5266/2014 में निदेशक (विधि), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा प्रेषित नोटिस का जबाब इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 720 दिनांक 10.07.2014 द्वारा निम्नानुसार प्रेषित किया गया:—

“भूखण्ड स्वामी भू. सं. ए-15, सैन कॉलोनी द्वारा कार्यालय में उपविभाजन हेतु आवेदन किया गया है। उपविभाजन की कार्यवाही से पूर्व ही आवेदक द्वारा मौके पर निर्माण कर लिया है। जो बिना स्वीकृति प्राप्त किये हुये अवैध किया गया है। इस बाबत प्रार्थी को दिनांक 02.06.2014 को सूचित किया जा चुका है। नियमों के विपरीत किये गये निर्माण व सैटबैक के उल्लंघन के कारण उपविभाजन में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती है।”

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10 (65) नविवि/३/०४ दिनांक 19.02.2010 के बिन्दु सं. 1 में निम्नानुसार वर्णित है:-

“ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र/बटवारानामा, वसीयतनामा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/बकशीशनामा द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण है तो उपविभाजन/पुनर्गठन नहीं किया जायेगा। परन्तु अग्र सैटबैक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी। किसी भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक से लिया जाना होगा।”



पैरा 33/एन पर अंकित मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड के साईड व पीछे के सैटबैक में निर्माण निर्मित है एवं अग्र सैटबैक में निर्माण निर्मित नहीं है।

पुनर्शब्द: पैरा 33/एन कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्टनुसार “ए” अग्र सैटबैक में निर्माण नहीं है। अतः उपविभाजन पर विचार किया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के पूर्व एजेण्डा की छाया प्रति संलग्न कर उक्त परिप्रेक्ष्य समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. भूखण्ड संख्या ए-15 सैन कॉलोनी के सन्दर्भ में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर प्रकरण को पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जायें।

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	 अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	 वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	 आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)
--	--	--	--

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्री सिद्धार्थ महेश्वरी।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 95, धूलेश्वर गार्डन, जयपुर।
3. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण		प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के 19-20/एन अनुसार	मौके पैरा 31-32/एन अनुसार	योजनानुसार मूल भूखण्ड की नाप व क्षेत्रफल
मूल भूखण्ड 95		620.13 व. ग. (518.51 व. मी.)	620.00 व. ग.	620.00 व. ग.	75'-0" x 75'-0" = 625.00 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	95	311.72 व. ग. (260.64 व. मी.)	-	-	
	95-ए	308.41 व. ग. (257.87 व. मी.)	-	-	

4. प्रकरण के तथ्य :— प्रश्नगत प्रकरण को श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 में प्रस्ताव सं. 28 पर विचारार्थ रखा गया था। “समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन किया गया। अंतिम प्रार्थी का स्वामित्व अपंजीकृत वसीयतनामे से हुआ है अतः निदेशक विधि से इस संबंध में स्वामित्व बाबत् स्पष्ट राय प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।”

उक्त निर्णय की अनुपालना में प्रकरण में पैरा 86-87/एन अनुसार निदेशक (विधि) से प्राप्त की गयी जो निम्नानुसार है:—

“अपंजीकृत वसीयत होने से वसीयत की वैद्यता संदिग्ध नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयत होना विधिक रूपसे अनिवार्य नहीं है। इस पर T.P.Act के प्रावधान लागू नहीं है, क्योंकि हस्तांतरण वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही निष्पादित होती हैं वर्तमान प्रकरण में वसीयतकर्ता जिसने भूखण्ड की वसीयत लिखी है। रजिस्टर्ड क्रेता होने से स्वामी है तथा उनकी मृत्यु के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः वसीयत व वसीयत के गवाहों के शपथ पत्रों के अनुसार प्रार्थी सिद्धार्थ माहेश्वरी का स्वामित्व माना जा सकता है। (86/एन)

अतः प्रश्नगत प्रकरण के पूर्व एजेण्डा की छाया प्रति संलग्न कर पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. एजेण्डा के प्रस्ताव अनुसार मूल भूखण्ड संख्या 95 को प्रस्तावित दो भूखण्डों में एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर के साथ अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. विषयान्तर्गत भूखण्ड निजी योजना का भूखण्ड है अतः प्रकरण में विकास शुल्क व परिधी विकास शुल्क अन्य शुल्कों के साथ लिया जायें।
3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात उपविभाजन मानचित्र जारी किया जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर नियोजक नगर नियोजक
(अध्यक्ष) नगर नियोजक नगर नियोजक
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजक नगर नियोजक
(सदस्य सचिव) नगर नियोजक नगर नियोजक
(सदस्य)

आमुक्त (आयोजना)
नगर नियोजक नगर नियोजक
(सदस्य)

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :- श्रीमती अरुण देवी एवं अन्य।
2. शोरूम/योजना का नाम :- ए-6, अर्जुन लाल सेठी नगर, आगरा रोड, जयपुर।
3. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्थानिक दस्तावेजों के अनुसार	मौके पैरा 15/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	555.55 व. ग.	555.55 व. ग.	555.55 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	277.77 व. ग.	277.77 व. ग.	277.77 व. ग.

4. टिप्पणी :-

1. उक्त शोरूम का टाईप डिजायन पूर्व में अनुमोदित है। उक्त टाईप डिजायन के अनुसार 40'-0" चौड़ी सड़क की तरफ शोरूम के आगे नियमानुसार 10'-0" खुला बरामदा रखना था जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदिकगण द्वारा उक्त बरामदा को कवर कर लिया गया है।
 2. टाईप डिजायन अनुसार भूतल + प्रथम तल अनुमोदित है जबकि मौके पर बेसमेंट +भूतल+ द्वितीय तल का कम्पलीट निर्माण कर लिया गया है। नीलामी शर्तोनुसार तहखाना बना सकेगा, अंकित किया हुआ है। उक्तानुसार द्वितीय तल का टाईप डिजायन से विपरीत निर्माण कर लिया गया है।
 5. प्रकरण के तथ्य :- प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 में प्रस्ताव सं. 15 पर विचारार्थ रखा गया था। "समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि टाईप डिजायन के अनुसार 40'-0" चौड़ी सड़क की तरफ शोरूम के आगे नियमानुसार 10'-0" खुला बरामदा रखना था जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदिकगणों द्वारा उक्त बरामदा को कवर कर लिया गया है। अतः वाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-
- iii. आवेदकगणों को उक्त बरामदे को खाली करने हेतु अविलम्ब लिखा जावे।
- iv. आयुक्त, जोन को भी आवश्यक तर्यावाही हेतु प्रत्र लिखा जावे।
- उक्त निर्णय की अनुपालना में आवेदक एवं जोन कार्यालय को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1230 दिनांक 15.09.2014 द्वारा सूचित किया जा चुका है।

आवेदक द्वारा दिनांक 16.09.2014 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व सिविल इन्जीनियर द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किये गये हैं। जिनमें निर्माण 15 वर्ष पुराना है बाबत् उल्लेख किया गया है। साथ ही शपथ पत्र में अंकित किया गया है कि पुराने निर्माण को ध्वस्त कर निगम के पैरामीटर्स के अनुसार निर्माण किया जावेगा। साथ संलग्न इन्जीनियर के प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं की गयी है।

उक्त परिप्रेक्ष में प्रश्नगत प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 24.09.2014 में प्रस्ताव सं. 02 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन कर विचार-विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एजेण्डा में अभियन्ता का प्रमाण पत्र बिना तारीख बाबत् उल्लेख है। परंतु पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उस प्रमाण पत्र में दिनांक 22.09.2014 तारीख डाली हुई है और यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दिनांक 16.09.2014 को प्रस्तुत पत्र के साथ है, अतः आयुक्त (आयोजना) को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुये उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में विस्तृत जांच कर मय जांच रिपोर्ट के आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
 2. आवेदक को लिखा जावे कि अभियन्ता/वास्तुदिव् का प्रमाण पत्र मय तारीख पुनः प्रस्तुत करें।
- उपरोक्त के साथ प्रकरण को पूर्ण तथ्यों सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।"

उक्त निर्णय के बिन्दु सं. 1 की पालना में पत्रावली आयुक्त (आयोजना) को प्रेषित की गयी। पत्रावली के पैरा 53/एन अनुसार "जांच रिपोर्ट पृथक से दी जा चुकी है।" एवं पैरा 56/एन अनुसार पैरा 55/एन के संबंध में आयुक्त महोदय से चर्चा की बताया कि जांच रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत कर दी गई है। (रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं है)

साथ उक्त निर्णय के बिन्दु सं. 2 की पालना में आवेदक द्वारा सिविल इन्जीनियर से दिनांक 03.10.2014 का प्रमाणित, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली में पृ. सं. 144/सी पर संलग्न है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. एजेण्डा के प्रयोजन बिन्दु में त्रुटिवश आवासीय अंकित किया गया है जबकि यह व्यवसायिक दुकान का उपविभाजन है। जिसे सही कराया जायें।

2. समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तावित उपविभाजित दुकान के सामने उक्त दुकान के टाईप डिजाइन अनुसार बरामदा अनुमोदित है। यह बरामदा इस प्रकार की दुकानों में आमजन के आने जाने के प्रयोजनार्थ रखा जाता है। तथा इसे दुकान का फन्ट सेटबैक नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.02.2010 के बिन्दु संख्या 1 में फन्ट सेटबैक में 10 साल पहले के निर्माण के बाबत जो शिथिलता दिये जाने का जो प्रावधान है उसके तहत विषयान्तर्गत प्रकरण को शामिल नहीं किया जा सकता। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों बाबत निर्देशक स्थानीय निकाय विभाग से राय प्राप्त की जायें।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)


अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती त्रिशला देवी गोधा।
2. भू. सं./योजना का नाम :— सी-38, बापू नगर, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— बापू नगर।
 - (ii) आवंटित :— हौँ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके पैरा 109/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	844.44 व. ग.	844.4 व. ग.	844.44 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	527.79 व. ग.	527.79 व. ग.	527.39 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :—

(i) साईट प्लान के अनुसार :— 40'-0" व 40'-0" (28/सी)

(ii) मौके अनुसार :— 40'-0" व 30'-0" (109/एन)

6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण :— 30'-0" चौड़ी सड़क के मार्गांधिकार को साईट प्लान में दर्शितानुसार 40'-0" चौड़ा किये जाने हेतु निर्णय लिया जाना है।
7. स्वामित्व रिपोर्ट :— पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार श्रीमती त्रिशला गोधा का 527.79 व. ग. पर स्वामित्व सही जाहिर होता है। (108/एन)
8. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड कॉर्नर का है। एक साईड रोड 40'-0" व दूसरी 30'-0" है। मौके पर भूखण्ड पर ग्राउण्ड फ्लोर की रुफ डाली जा चुकी है तथा उसके ऊपर कॉलम निर्माण कार्य चल रहा है। मौके की स्थिति स्केचानुसार है।
9. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।
10. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड पृ. सं. 28/सी	प्रस्तावित भू. सं. सी-38-ए पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	20'-0"	20'-0"
अग्र द्वितीय	20'-0"	20'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	10'-0"
साइड द्वितीय	10'-0"	चरपेटा

11. टिप्पणी :—

- 
1. प्रश्नगत प्रकरण को तीन भागों में उपविभाजन हेतु भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 12.09.2011 में प्रस्ताव सं. 02 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया—
 - i. मूल भूखण्ड के सैटबैक यथावत रहेंगे। भवन विनियम 2010 के प्रावधान अनुसार मानचित्र अनुमोदन कराने होंगे।
 - ii. उक्त मूल भूखण्ड कॉर्नर का है। अतः भू. सं. सी-38-बी भाग में से 20'-0" रेडियस की गोलाई हेतु निःशुल्क भूमि समर्पित करवाइ जावे।

- iii. उक्त मूल भूखण्ड के दूसरी ओर 31'-0" चौड़ी सड़क है जबकि साईट प्लान अनुसार उक्त सड़क 40'-0" चौड़ी है। अतः उक्त सड़क की चौड़ाई हेतु भूमि निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।
- iv. मौका रिपोर्ट अनुसार मूल भूखण्ड के पीछे एवं 31'-0" चौड़ी सड़क की ओर अवैध निर्माण है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार किसी भूखण्ड का उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र तथा निर्माण 10 वर्ष पुराना है, इस बाबत सबूत प्राप्त किये जावें।
- v. भूखण्ड के सैटबैक में निर्माण होने पर नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 के क्रम में आवेदक से उक्त भूखण्ड के उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे।
- vi. उपविभाजन मानचित्र एवं नाम हस्तांतरण पत्र साथ-साथ जारी किये जायें। प्रार्थी द्वारा वांछित सभी शुल्क जमा कराने एवं आवश्यक दस्तावेज़/शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।

उक्त निर्णय की पालना में आवेदकगण को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 645 दिनांक 20.09.2011 को मांग राशि जमा कराने एवं निर्णय की पालना हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परंतु आवेदण द्वारा आज दिनांक तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. अब वर्तमान में आवेदिका श्रीमती त्रिशला देवी द्वारा दिनांक 23.09.2014 को आवेदन प्रस्तुत कर मूल भूखण्ड 844.44 व. ग. में 527.79 व. ग. का उपविभाजन चाहा गया है।
3. 30'-0" चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार को साईट प्लान में दर्शितानुसार 40'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदित भू-भाग में से आवश्यक भूमि निःशुल्क नगर निगम हित में समर्पित करवाई जानी है।
4. उक्त मूल भूखण्ड कॉर्नर का है। अतः भू. सं. सी-38-बी भाग में से 20'-0" रेडियस की गोलाई हेतु निःशुल्क भूमि समर्पित करवाई जानी प्रस्तावित है।
5. मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पर ग्राउण्ड फ्लोर की रुफ डाली जा चुकी है तथा उसके ऊपर कॉलम निर्माण कार्य चल रहा है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण है तो उपविभाजन नहीं किया जायेगा। परंतु अग्र सैटबैक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड के दोनों अग्र सैटबैक 20'-0" के स्थान पर 15'-0" पर निर्माण कार्य चल रहा है। अतः निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

12. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार टिप्पणी 11 (5) बाबत् विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. प्रकरण को स्पष्ट प्रस्ताव के साथ पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

विरिष्ट नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रस्ताव सं. 55

प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई— भवन विनियम-2010

दिनांक 24/12/2014

1. आवेदन दिनांक : 01.08.2014

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती कविता ए. माटा, श्रीमती बीना देवी उर्फ माया देवी ठाकुर व डॉ० संजय कुमार डी ठाकुर।

2. भूखण्ड सं./योजना:- 75, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर।

3. क्षेत्रफल :-

(i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— 461.01 व. मी.। (551.38 वर्ग गज)

(ii) स्थल मानचित्र अनुसार :— 551.38 व. ग. (6/सी)

(iii) मौका अनुसार :— 551.38 व. ग. (12/एन)

4. भूखण्ड का प्रकार :-

(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क।

(ii) आवंटित :— हॉ।

5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना के अनुसार :— 30'-0"

(ii) मौके के अनुसार :— 34'-0" (12/एन)

6. भू-उपयोग

(i) मास्टर प्लान के अनुसार :— आवासीय।

(ii) प्रस्तावित :— आवासीय।

(iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:— आवेदक का परिवार निवास कर रहा है।

7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर आवेदक का परिवार निवास कर रहा है। मौके पर उक्त भूखण्ड की स्थिति स्केचानुसार है। मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल $99'-3'' \times 50'-0'' = 551.38$ व. ग. है। मौके पर भूखण्ड पर ग्राउण्ड फ्लोर निर्मित है। मौके पर भूखण्ड के सामने सड़क 34'-0" की है। (12/एन)

8. स्वामित्व रिपोर्ट :— पैरा 5/एन अनुसार नाम हस्तांतरण जिसके पक्ष में किया गया है, उसके द्वारा ही भवन निर्माण स्वीकृति चाहने पर स्वामित्व परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। (6/एन)

आयुक्त (राजस्व), नगर निगम, जयपुर के कार्यालय पत्रांक 125 दिनांक 02.06.

2014 को आवेदकगण के नाम से नाम हस्तांतरण पत्र जारी किया गया है। (8/सी)

9. तकनीकी रिपोर्ट :—

(i) भवन के पैरामीटर्स:—

(1)	(2)	(3)
सैट बैंक (न्यूनतम)	अनुसूची तालिका "2" अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	20'-0" (6.10 मी.)	20'-0" (6.10 मी.)
साईड प्रथम	5'-0" (1.52 मी.)	1.52 मी.
साईड द्वितीय	5'-0" (1.52 मी.)	1.52 मी.
पार्श्व	5'-0" (1.52 मी.)	1.52 मी.
ऊँचाई	12.00 मी. स्टिल्ट सहित	12.00 मी. स्टिल्ट सहित
मंजिल	एस+जी+2	स्टिल्ट + जी + 2
बेसमेंट	देय	प्रस्तावित नहीं
आच्छादन	सैटबैंक क्षेत्र के अंदर	59.60 प्रतिशत
एफ.ए.आर	मानक 1.2	1.70

(ii) पार्किंग:- भवन विनियम अनुसार = 5.25 ई.सी.यू (प्रस्तावित निवास इकाई की सं. 03)

25 प्रतिशत अतिरिक्त = 1.32 ई.सी.यू

कुल वांछित पार्किंग = 6.56 ई.सी.यू (5 कार, 5 दुपहिया)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 6.66 ई.सी.यू (5 कार, 5 दुपहिया)

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान – आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान – आवश्यक है, प्रस्तावित है।

10. विचारणीय बिन्दु :-

- आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार 30'-0" चौड़ी सड़क पर स्थित उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 551.38 व. ग. पर स्टिल्ट + जी + 2 तल तक 12.00 मीटर ऊँचाई (स्टिल्ट सहित) आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।
- कार्यालय के पत्रांक 1235 दिनांक 16.09.2014 (पृष्ठ संख्या 61/सी) को आवेदकों को सूचित किया गया था आवेदक के पत्र पर आवेदकों के हस्ताक्षर नहीं हैं। सेक्षण ऐलीवेशन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस पर अपंजीकृत मु0आम श्री अनिल लोहाना द्वारा पुनः अपने हस्ताक्षर करके पत्र (पृष्ठ संख्या 62/सी) के साथ संलग्न मानचित्रों पर आवेदकों के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किए जो कि 62-63/सी पर संलग्न हैं। अवलोकनीय हैं। आवेदकों द्वारा भी संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने का कार्यालय में पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पृष्ठ (64/सी) पर उपलब्ध है। पृ. सं. 64/सी पत्र के साथ कोई नक्शे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- पृ. सं. 60/सी पर संलग्न मानचित्रों में तीनों फ्लोर (Typical Floor) में छज्जा की साईज अंकित नहीं है।
- टेरेस फ्लोर पर लिफ्ट के साथ स्टेप दर्शाया गया, साईज अंकित नहीं है।

11. मानचित्रों का अनुमोदन किया जाता है तो निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है :-

1. संशोधित मानचित्र जांच शुल्क (461.01X10X3)	13831/- रुपये।
2. भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क	62150/- रुपये।
3. मलबा शुल्क	1000/- रुपये।
4. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर	
(क) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण अमानत राशि	50000/- रुपये।
5. लोगो राशि	1000/- रुपये।
6. अतिरिक्त एफ.ए.आर. राशि	739148/- रुपये।
7. सरफेस कार पार्किंग 5 लाख की बैंक गारंटी ली जानी है।	
8. सीवर गणना की जानी है।	
9. उपकर की गणना की जानी है।	

12. प्रस्ताव :- विचारणीय बिन्दु सं. 10 (3 व 4) के निर्णयोपरांत भवन मानचित्र तकनीकी रूपसे अनुमोदन योग्य है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया।

प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. एजेण्डा के प्रस्ताव अनुसार स्टील्ट+जी+2 मंजिल के प्रस्तावित मानचित्रों को एंजेण्डा में वर्णित संशोधन के साथ अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. सुमस्त शुल्क जम्मा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित किये जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक वरिष्ठ नगर नियोजक आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष) (सदस्य) (सदस्य सचिव) (सदस्य)

प्रस्ताव सं. 56

दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन — बहुमंजिली आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत् जॉच की गई— भवन विनियम—2010

1. प्रार्थी का नाम :— श्री मोहनदास गुरनानी एवं अन्य।
2. भूखण्ड सं./योजना:— ए-4 व ए-5, बर्माज कॉलोनी, जयपुर। (पुनर्गठित भूखण्ड)
3. क्षेत्रफल :— $120'0'' \times 120'0'' = 1600.00$ व. ग. (1337.80 व. मी.)
4. सड़क की चौड़ाई :—

(i) साईट प्लान के अनुसार :— 289'-0"

(ii) मौके के अनुसार :— 98'-0" से 112'-0" तक (25/एन)

5. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण:— मौके पर सड़क 98'-0" से 112'-0" है। पैरा 25/एन अनुसार एवं भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार सड़क 289'-0" है।

मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के द्वारा रोड पर कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थी के प्लाट का Size Allotment के According है तथा भूखण्ड सामने स्थित कच्ची बस्ती बसी हुई है। (25/एन)

6. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल पत्रावली के पृ. सं. 8/सी के बिन्दु सं. 3 के (iii) के अनुसार 1600.00 व. ग. हैं मौके पर वर्तमान में मुहूर्त हेतु एक पिट बनाया हुआ है तथा पाईलिंग का वर्क चल रहा है। (9/एन)

प्रार्थी के द्वारा रोड पर कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थी के प्लाट का Size Allotment के According है तथा भूखण्ड सामने स्थित कच्ची बस्ती बसी हुई है।

मौके पर प्रार्थी द्वारा पाईलिंग वर्क किया जा रहा है तथा बेसमेंट हेतु कार्य प्रारम्भिक स्थिति में है तथा निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। (25/एन)

7. तकनीकी रिपोर्ट :—

(i) भवन के पैरामीटर्स:—

(1) सैट बैक (न्यूनतम)	(2) पुनर्गठन मानचित्रानुसार	(3) भवन विनियम 2010 की तालिका "2" व तालिका "7" के टिप्पणी के अनुसार	(4) पूर्व बी.पी.सी. द्वारा अनुमोदित मानचित्रानुसार	(5) वर्तमान में प्रस्तुत मानचित्रानुसार
अग्र साईट प्रथम	25'-0"	9.14 मी.	9.14 मी.	9.14 मी.
साईट द्वितीय	15'-0"	7.50 मी.	7.51 मी.	7.51 मी.
पीछे	15'-0"	7.50 मी.	9.14 मी.	7.51 मी.
ऊँचाई		8.11 के अनुसार सड़क की चौड़ाई का ढेढ़ गुणा मौके की सड़क की चौड़ाई अनुसार (45.00 मी. से अधिक)	30.00 मी. + स्टिल्ट	40.00 मी.
मंजिल		अंकित नहीं	बी+स्टिल्ट+10 तल	बी+स्टिल्ट+12 तल
बेसमेंट		दो बेसमेंट देय	एक बेसमेंट अनुज्ञय	प्रस्तावित एक बेसमेंट
आच्छादन		सैटबैक क्षेत्र के अंदर	32.28 प्रतिशत	32.64 प्रतिशत
एफ.ए.आर	मानक 1.20	अधिकतम 2.25 + 1.00 = 3.25	2.85	3.43

(ii) तालिका 2 की टिप्पणी (iv) के अनुसार स्टिल्ट फ्लोर पर कोई व्यवसायिक प्रस्तावित नहीं है।

(iii) पार्किंग:- प्रस्तावित एफ.ए.आर. के अनुसार पार्किंग भवन विनियम अनुसार = 61.19 ई.सी.यू. (प्रस्तावित फ्लैट्स की सं. 48)

25 प्रतिशत अतिरिक्त = 15.29 ई.सी.यू.

कुल बांधित पार्किंग = 76.66 ई.सी.यू. (57 कार, 59 स्कूटर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 76.33 ई.सी.यू. (57 कार, 57 स्कूटर) (2 स्कूटर कम प्रस्तावित हैं)

स्वीकृत किये जाने वाले एफ.ए.आर. के अनुसार गणना पुनः की जानी है।

(iv) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान - आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(vi) सौर ऊर्जा प्रावधान - आवश्यक है प्रस्तावित है।

8. फायर अनापत्ति विवरण:- भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है: अतः फायर अनापत्ति ली जानी है।

9. भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है: अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (नागरिक उड़ान विभाग) से अनापत्ति ली जानी है।

10. भूखण्ड के चारों ओर एन.बी.सी. के प्रावधानानुसार: छाइव वे 3.6 मीटर उपलब्ध है।

11. भवन विनियम 2010 के नियम 12 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रस्तावित है।

12. विचारणीय बिन्दु :-

a. प्रश्नगत प्रकरण को श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 09.06.2014 में प्रस्ताव सं. 27 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

i. आवेदित भूखण्ड की स्थल विशेष स्थिति को देखते हुये बेसमेंट + स्टिल्ट + 10 तल कुल भवन की ऊँचाई 30.00 मी. + स्टिल्ट के एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार तथा एजेण्डा के विचारणीय बिन्दु सं. 2 अनुसार प्रार्थी द्वारा भवन विनियमानुसार पार्किंग प्लान संशोधित किये जाने पर मय संशोधन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

ii. स्टिल्ट से बेसमेंट में 13 पिट मैकेनिकल कार पार्किंग प्रस्तावित है। अतः बेसमेंट में वाहनों जाने के लिए रैम्प प्रस्तावित किया जावे अन्यथा पिट पार्किंग देय नहीं है। उकतानुसार पार्किंग प्लान/बेसमेंट प्लान में संशोधन प्रार्थी से लिया जावे। पार्किंग प्लान नियमानुसार होने पर अनुमोदित किया जावे।

iii. भवन 15.00 मी. से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है। अतः फायर अनापत्ति ली जावे।

iv. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (नागरिक उड़ान विभाग) से अनापत्ति प्राप्त की जावे।

v. भवन विनियमानुसार फायर सेस शुल्क लिया जावे।

vi. भवन विनियम की धारा 10.1.8 के अनुसार प्रार्थी से पार्किंग बाबत् अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे।

vii. प्रार्थी से मैकेनिकल पार्किंग की नियमानुसार धरोहर राशि ली जावे।

viii. उपरोक्तानुसार संशोधित पार्किंग/बेसमेंट प्लान, समस्त संदेय शुल्क व दसतावेज जमा होने के पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन कर जारी किये जायें।

उक्त निर्णय की अनुपालना में समस्त राशि की गणना कर आवेदक को मांग पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र में वर्णितानुसार आवेदक समस्त राशि निगम कोष में जमा करा दिये गये थे परंतु नागरिक उड़डयन विभाग की अनापत्ति बाबत निम्नानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था—

“जहां तक भारतीय विमान पत्तन की अनापत्ति का संबंध है हम दिनांक 21.04.2014 को विमान पत्तन प्राधिकरण को आवेदन कर चुके हैं तथा निरन्तर उन्हें स्मरण कराया जा रहा है किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में कुछ समय लग सकता है। अतः हमें फिलहाल 15 मीटर तक की ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी किये जायें जिसके लिये विमान पत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति नियमों के अनुसार नहीं है। 15 मीटर से अधिक शेष ऊँचाई के मानचित्र बाद में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी किये जावें।”

उक्तानुसार बेसमेंट + स्टिल्ट + तृतीय तल कुल 13.70 मी. ऊँचाई के मानचित्र नगर निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 17.09.2014 को आवेदकगण के नाम जारी किये गये।

- b. आवेदकगण द्वारा दिनांक 21.10.2014 को प्रार्थना पत्र के साथ संशोधित मानचित्र प्रस्तुत कर बेसमेंट + स्टिल्ट + 12 तल तक कुल 40.00 मी. ऊँचाई की बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।
 - c. उक्त संशोधित मानचित्रानुसार साईड द्वितीय सैटबैक पूर्व अनुमोदित 9.14 मी. के स्थान पर 7.51 मी. प्रस्तावित किया गया है, जो नियमानुसार देय है।
 - d. पूर्व अनुमोदित मानचित्रानुसार बेसमेंट सैटबैक क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित था अब Extended बेसमेंट के सैटबैक प्रस्तावित है जो नियमानुसार अग्र 6.10 मी. एवं तीनों ओर 3.60 मी. छोड़कर पार्किंग सुविधा 10.1.5 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है, जो नियमानुसार देय है।
 - e. भवन विनियमानुसार की धारा 8.11 के अनुसार सड़क की चौड़ाई के डेढ़ गुणा तक भवन की ऊँचाई देय है अंकित है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 98'-0" से 112'-0" (29.87 मी. से 34.14 मी.) तक है। अतः निर्णय लिया जाना है कि क्या ऊँचाई दी जानी है।
 - f. भूखण्ड के स्थल मानचित्रानुसार उक्त सड़क की चौड़ाई 289'-0" अंकित है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के द्वारा रोड पर कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थी के प्लाट का Size Allotment के According है तथा भूखण्ड सामने स्थित कच्ची बस्ती बसी हुई है। नगर निगम, जयपुर द्वारा पूर्व में इस प्रकार के अन्य प्रकरणों जैसे भू. सं. ऐ-26, बनीपार्क व भू. सं. एस-14, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में भवन की ऊँचाई योजना में दर्शित सड़क की चौड़ाई अनुसार दी गयी है। प्रकरण में निर्णय लिया जाना है कि सड़क की क्या चौड़ाई मानते हुये एफ.ए.आर. स्वीकृत किया जाये।
13. प्रस्ताव :- विचारणीय बिन्दु 12 (5 व 6) पर निर्णयोपरांत शुल्क गणना किया जाना है। देय एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई के निर्णय उपरांत भवन मानचित्र तकनीकी रूपसे अनुमोदन योग्य है।
- समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

- समिति द्वारा नोट किया गया कि विषयान्तर्गत प्रकरण में इस समिति द्वारा पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है अतः उसी समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया जाना उपयुक्त नहीं है। अतः समिति के पूर्व निर्णय को यथावत् रखा जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)


अति. मुख्य नगर नियो
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सचिव) (स)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रस्ताव सं. 57

दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन - आवासीय फ्लैट्स भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई - भवन विनियम-2010

1. आवेदन दिनांक : 08.10.2014

1. प्रार्थी का नाम :- श्री यशवर्धन सिंह राठौड़।
2. भूखण्ड सं./योजना:- डी-139-ए, बनीपार्क, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :-

- (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :- 1133.33 व. ग. (947.16 व. मी.)
- (ii) स्थल मानचित्र अनुसार :- 1133.33 व. ग.। (नाम हस्तांतरण पत्र 2/सी संलग्न है)
- (iii) मौका अनुसार :- $85'-0'' \times 120'-0'' = 1133.33$ व. ग.। (पैरा 5/एन)

4. भूखण्ड का प्रकार :-

- (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- बनीपार्क।
- (ii) आवंटित :- हाँ।

5. सड़क की चौड़ाई :-

- (i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :- 40'-0"
- (ii) मौके के अनुसार :- 40'-0" (5/एन)

6. भू-उपयोग

- (i) मास्टर प्लान के अनुसार:- आवासीय।
- (ii) प्रस्तावित :- आवासीय (फ्लैट्स)
- (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:- आवासीय मकान बना हुआ है।

7. मौका रिपोर्ट :- मौके पर भूखण्ड पर जी+1 फ्लोर निर्मित है। मौके पर भूखण्ड पर स्ट्रीप ऑफ लैण्ड में 4'-0" x 8'-0" (लगभग) पर निर्माण है। प्रार्थी द्वारा बताया कि निर्माण रवीकृति की टैक्नीकल अप्रूब्ड के बाद हटा दिया जावेगा। प्रार्थी द्वारा 120'-0" पर वायर फैसिंग करके पृथक कर दिया गया है। भूखण्ड का क्षेत्रफल $120'-0'' \times 85'-0'' = 1133.33$ व. ग. है। (5/एन)

आदेशानुसार आवेदक के representation के संदर्भ में मौका निरीक्षण किया गया। जिसके अनुसार स्ट्रीप ऑफ लैण्ड में स्थित 8'-0" 4'-0" के निर्माण को dismental किया जा चुका है तथा स्ट्रीप को वायर फैसिंग से सेपरेट किया गया है। (13/एन)

8. स्वामित्व रिपोर्ट :- प्रकरण में आयुक्त (राजस्व) द्वारा प्रार्थी के हित में नाम हस्तांतरण पत्र जारी किया गया है। वह पत्रावली पेज सं. 2/सी पर उपलब्ध है। जारी नाम हस्तांतरण अनुसार स्वामित्व सही है। (1/एन)

9. तकनीकी रिपोर्ट :-

- (i) भवन के पैरामीटर्स:-

(1)	(2)	(3)
सैट बैक (न्यूनतम)	भवन विनियम 2010 की तालिका "2" व संशोधित नियम सहित	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	9.00 मी.	9.14 मी.
साइड प्रथम	4.57 मी.	4.57 मी.
साइड द्वितीय	4.57 मी.	4.57 मी.
पीछे	4.50 मी.	4.57 मी.
ऊँचाई	15.00 मी. (स्टिल्ट सहित)	15.00 मी. (स्टिल्ट सहित)
मंजिल	अकित नहीं	बी+एस+जी+3 तल (स्टिल्ट सहित)
बेसमेट	देय	प्रस्तावित

आच्छादन	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	40 प्रतिशत
एफ.ए.आर	मानक 1.33	अधिकतम 2.25 1.60

(ii) पार्किंग:- भवन विनियम अनुसार = 20.24 ई.सी.यू. (प्रस्तावित फ्लैट्स की सं. 12)
25 प्रतिशत अतिरिक्त = 5.06 ई.सी.यू.

कुल वांछित पार्किंग = 25.30 ई.सी.यू.

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 25.33 ई.सी.यू. (19 कार, 19 दुपहिया)

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान — आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान — आवश्यक है, प्रस्तावित है।

10. भूखण्ड के चारों ओर एन.बी.सी. के प्रावधानानुसार ड्राइव वे 3.6 मीटर उपलब्ध है।

11. भवन विनियम 2010 के नियम 12 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रस्तावित है।

12. विचारणीय बिन्दु :-

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार 40'-0" छोड़ी सड़क पर स्थित उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 85'-0"X120'-0" = 1133.33 व. ग. (947.16 व. मी.) पर बेसमेंट + स्टिल्ट + भूतल + तृतीय तल तक कुल 15.00 मी. ऊँचाई की आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है। जो नियमानुसार देय है।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार 85'-0"X120'-0" = 1133.33 व. ग. (947.16 व. मी.) पर निर्माण स्वीकृति चाही गयी है एवं मौका रिपोर्ट पैरा 13/एन अनुसार आवेदक द्वारा 85'-0"X4'-0" स्ट्रीप ऑफ लैण्ड से कब्जा हटाकर (वायर फेसिंग) से अलग कर दिया गया है।

13. मानचित्रों का अनुमोदन किया जाता है तो निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है :-

- | | |
|--|-----------------|
| 1. भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क | 136987/- रुपये। |
| 2. मलबा शुल्क | 5000/- रुपये। |
| 3. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर | |
| (क) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण अमानत राशि | 100000/- रुपये। |
| 4. लोगो राशि | 1000/- रुपये। |
| 5. अति० एफ.ए.आर. राशि | 814046/- रुपये। |
| 6. सीवर शुल्क | |
| 7. उपकर की गणना की जानी है। | 205972/- रुपये। |

14. प्रस्ताव :- भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य हैं।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

- एजेण्डा के प्रस्ताव अनुसार बी+एस+जी+३ तल के प्रस्तावित मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- आवेदक के भूखण्ड के पीछे में जो स्ट्रीप ऑफ लैण्ड आवेदक द्वारा छोड़ी गई है उसका भौतिक रूप से जोन आयुक्त द्वारा कब्जा लिया जाये।
- समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात व स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का जोन आयुक्त द्वारा भौतिक रूप से कब्जा लिये जाने के पश्चात मानचित्र जारी किये जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

रा.१०.१०

१०.१०।

प्रस्ताव सं. 58

प्रयोजन — आवासीय बहुमंजिला (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।
भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई — भवन विनियम—2010

दिनांक / / 2014

1. आवेदन दिनांक : 10.11.2014

1. प्रार्थी का नाम :— मैसर्स पी. जी. डवलपर्स जरिये गौतम कुमार जैन।
2. भूखण्ड सं./योजना :— बी-27, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :—

- (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— $100'-0'' \times 135'-0'' = 1500.00$ व. ग. (1254.19 व. मी.) (84/सी)
- (ii) स्थल मानचित्र अनुसार :— $100'-0'' \times 135'-0'' = 1500.00$ व. ग. (1254.19 व. मी.) (5/सी)
- (iii) मौका अनुसार :— $100'-0'' \times 135'-0'' = 1500.00$ व. ग. (1254.19 व. मी.) (6/एन)

4. भूखण्ड का प्रकार :—

- (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— आदर्श नगर।
- (ii) आवंटित :— हाँ।

5. सड़क की चौड़ाई :—

- (i) मास्टर प्लान अनुसार :— 100'-0"
- (ii) साइट प्लान के अनुसार :— 56'-0"
- (iii) मौके के अनुसार :— 56'-0" (6/एन)

6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण :— मास्टर प्लान 2025 अनुसार सड़क मार्गाधिकार को 100'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदित भूमि में से $100'-0'' \times 22'-0'' = 204.38$ व. मी. भूमि सड़क के समानांतर निःशुल्क समर्पित करवाई जानी है।

7. भू—उपयोग

- (i) मास्टर प्लान के अनुसार :— मिश्रित उपयोग। (मूल रूपसे आवासीय उपयोग हेतु, शहरी जमावंदी के आधार पर रहने के अभिप्रायों के लिए खालसा जमीन का विक्रय पत्र पृ. सं. 4/सी)
- (ii) प्रस्तावित :— आवासीय।
- (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग :— मौके पर भूखण्ड खाली है। (6/एन)

8. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड खाली है तथा किसी उपयोग में नहीं आ रहा है। भूखण्ड की स्थिति स्केचानुसार है। भूखण्ड का क्षेत्रफल $100'-0'' \times 135'-0'' = 1500.00$ व. ग. है। (6/एन)

9. स्वामित्व रिपोर्ट :— पत्रावली के पृ. सं. 6/सी पर संलग्न पत्र सं. एफ-6 () सा.प्र./आ.राज./जननि. /2013/1324 दिनांक 16.12.2013 से नगर निगम, जयपुर द्वारा आवेदक मैसर्स पी.जी. डवलपर्स के नाम भूखण्ड सं. बी-27 क्षेत्रफल 1500 व. ग. का नाम हस्तांतरण किया गा है। उक्त नाम हस्तांतरण के आधार पर आवेदक का स्वामित्व सही है। (पैरा 8-10/एन)

10. तकनीकी रिपोर्ट :—

(i) भवन के पैरामीटर्स :—

(1)	(2)	(3)	(4)
सैट बैक (न्यूनतम)	स्थल मानचित्रानुसार	भवन विनियम 2010 की तालिका "2" एवं "7" के अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	40'-0"	40'-0" (12.19 मी.)	12.19 मी.
साईड प्रथम	10'-0"	25'-0" (7.50 मी.)	7.62 मी.
साईड द्वितीय	10'-0"	25'-0" (7.50 मी.)	7.62 मी.
पीछे	5'-0"	25'-0" (7.50 मी.)	7.62 मी.
ऊँचाई	—	विनियम 8.11 अनुसार (गोविन्द मार्ग की चौड़ाई मास्टर प्लान 2025 में 100'-0" होने के कारण) भवन की ऊँचाई 45.00 मी. देय है	40.00 मी. (स्टिल्ट सहित)
मंजिल	—	अकित	दो बेसमेंट + स्टिल्ट+12 तल
बेसमेंट	—	2 बेसमेंट देय	दो बेसमेंट प्रस्तावित
आच्छादन	—	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	34.12 प्रतिशत
एफ.ए.आर	—	मानक 1.33	अधिकतम 2.25 + 1.00 = 3.25
			3.23

(ii) नियम 8.10 (3) अनुसार भू—पट्टी समर्पण की ऐवज में देय एफ.ए.आर. :— 204.38 व. मी.

(iii) भवन विनियम तालिका 2 की टिप्पणी (iv) के अनुसार दुकान हेतु स्वीकृति योग्य एफ.ए.आर. का 3 प्रतिशत (3.23 एफ.ए.आर.) = 121.53 व. मी. देय है एवं आवेदक द्वारा 117.00 व. मी. प्रस्तावित है।

(iv) पार्किंग:- भवन विनियम अनुसार = 57.52 इ.सी.यू. (प्रस्तावित फ्लैट्स की सं. 36)

25 प्रतिशत अतिरिक्त (आगन्तुक पार्किंग) = 14.38 इ.सी.यू.

कुल वांछित पार्किंग = 71.90 इ.सी.यू. (54 कार, 54 स्कूटर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 72.00 इ.सी.यू. (55 कार, 51 स्कूटर)

लोअर बेसमेंट में : (13 बेस कार, 10 मैकेनिकल कार एवं 7 स्कूटर)

अपर बेसमेंट में : (15 बेस कार, 11 मैकेनिकल कार एवं 2 स्कूटर)

स्टिल्ट पलोर पर : (24 स्कूटर)

ओपन में : (6 बेस कार एवं 18 स्कूटर)

कुल : (34 बेस कार, 21 मैकेनिकल कार एवं 51 स्कूटर)

(v) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान – आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(vi) सौर ऊर्जा प्रावधान – आवश्यक है, प्रस्तावित है।

11. फायर अनापत्ति विवरण:- भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है अतः फायर अनापत्ति ली जानी है।

12. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनापत्ति विवरण:- भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति ली जानी है।

13. भूखण्ड के चारों ओर एन.बी.सी. के प्रावधानानुसार ड्राइव वे 3.6 मीटर उपलब्ध है।

14. भवन विनियम 2010 के नियम 12 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रस्तावित है।

15. विचारणीय बिन्दु :-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार मास्टर प्लान 2025 में दर्शितानुसार गोविन्द मार्ग 100'-0" चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 100'-0"X135'-0" = 1500.00 व. ग. (1254.19 व. मी.) पर दो बेसमेंट + स्टिल्ट + 12 तल कुल 40.00 मी. ऊँचाई की आवासीय (36 फ्लैट्स) की भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।

2. मास्टर प्लान 2025 अनुसार सड़क मार्गाधिकार को 100'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदित भूमि में से 100'-0"X22'-0" = 204.38 व. मी. भूमि सड़क के समानान्तर निःशुल्क समर्पित करवाई जानी है।

3. भवन विनियम तालिका 2 की टिप्पणी (iv) के अनुसार दुकान हेतु स्वीकृति योग्य एफ.ए.आर. का 3 प्रतिशत (3.23 एफ.ए.आर.) = 121.53 व. मी. देय है एवं आवेदक द्वारा 117.00 व. मी. प्रस्तावित है। जो स्वीकृत योग्य है।

4. मास्टर प्लान 2025 अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड मिश्रित उपयोग हेतु दर्शित है तथा आवेदक द्वारा आवासीय बहुमंजिला (फ्लैट्स) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है। मूल रूपसे आवासीय उपयोग हेतु शहरी जमाबंदी के आधार पर रहने के अभिप्रायों के लिए खालसा जमीन के विक्रय पत्र पृ. सं. 4/सी में अंकित है। कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्रांक टीपीआर:1118:02:जेजेड दिनांक 30.03.2001 में अंकितानुसार "चूंकि योजना में दर्शित भू-उपयोग मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग पर वरीयता रखते हैं। अतः प्रश्नगत भूखण्ड पर बिना किसी भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के नियमानुसार आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है।"

16. मानचित्रों का अनुमोदन किया जाता है तो निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है :-

1. जांच शुल्क	25100/- रुपये।
2. भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क (आवासीय)	362879/- रुपये।
3. भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क (व्यवसायिक)	8775/- रुपये।
4. मलबा शुल्क	10000/- रुपये।
5. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (क) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण अमानत राशि	600000/- रुपये।

6. लोगो राशि	1000/- रुपये।
7. व्यवसायिक दुकान शुल्क	491400/- रुपये।
8. सीवर शुल्क	545253/- रुपये।
9. अतिं० एफ.ए.आर. राशि (वेटरमेंट लेवी) (1.33 से 3.23 तक)	6998384/- रुपये।
10. ग्रोस बिल्ट-अप (बी.एस.यू.पी. शुल्क)	73746/- रुपये।
11. फायर सैंस शुल्क	405119/- रुपये।
12. 21 मैकेनिकल कार पार्किंग की 21 लाख रुपये की बैंक गारंटी ली जानी है।	
13. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार उपकर राशि ली जानी है।	

17. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य हैं।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. एजेण्डा के प्रस्ताव अनुसार दो बेसमेन्ट+स्टील्ट+12 तल कुल 40 मीटर ऊंचाई के एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर अनुसार बहुमंजिलिय आवासीय मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. गोविन्द मार्ग को मास्टर प्लान-2025 के अनुसार 100 फीट चौड़ा किया जाने हेतु आवेदक से आवश्यक भूमि निःशुल्क समर्पित कराई जाये।
3. अग्निशमन की अनापत्ति व नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति प्राप्त किये जाने के पश्चात मानचित्र जारी किये जायें।
4. मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु आवेदक से आवश्यक बैंक गारंटी जमा कराई जाये।
5. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात व भूमि समर्पण के पश्चात व आवश्यक एन.ओ.सी प्राप्त किये जाने के पश्चात मानचित्र जारी किये जाये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

४/१/१

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

४/२/१

प्रस्ताव सं. 59

दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन - आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन विनियम जिनके तहत जांच की गई - भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :— पुनीत एस्टेट्स प्रा. लि. जरिये अधिकृत श्री चैनरूप सुराना।
2. भूखण्ड सं./योजना :— सी-6, बनीपार्क विस्तार, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :—

- (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— 725.00 व. ग।
- (ii) स्थल मानचित्र अनुसार :— 725.00 व. ग। (3/सी)
- (iii) मौका अनुसार :— 725.00 व. ग। (2/एन)

4. भूखण्ड का प्रकार :—

- (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— बनीपार्क विस्तार।
- (ii) आवंटित :— हाँ।

5. सड़क की चौड़ाई :—

- (i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :— 60'-0" (3/सी)
- (ii) मौके के अनुसार :— 60'-0" (2/एन)

6. भू-उपयोग

- (i) मास्टर प्लान के अनुसार :— आवासीय।
- (ii) प्रस्तावित :— आवासीय (फ्लैट्स)
- (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग :—

7. मौके रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड की स्थिति स्केचानुसार हैं मौके पर भूखण्ड की नापें व क्षेत्रफल पृ. सं. 3/सी पर संलग्न अनुसार 725.00 व. ग. है। मौके पर एक स्कल्टन (ढांचा) विद-आउट रूफ का बना हुआ है। उक्त भूखण्ड की पैमाईश प्रतिनिधि के बताये अनुसार की गयी। भूखण्ड की नापें पत्रावली में संलग्न पृ. सं. 3 पर संलग्न स्थल मानचित्र के अनुसार है। मौके पर भूखण्ड के सामने सड़क 60'-0" है। (2/एन)

8. स्वामित्व रिपोर्ट :— पैरा 5-7/एन की रिपोर्ट अनुसार जिस नाम से (मैसर्स पुनीत एस्टेट प्रा. लि.) नाम हस्तांतरित किया गया है। उसके पुनः जांच की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली को अग्रिम कार्यवाही हेतु तकनीकी शाखा में भिजवाया जाना है (8/एन); पैरा 1/एन अनुसार जारी नाम हस्तांतरण अनुसार स्वामित्व सही है।

9. तकनीकी रिपोर्ट :—

- (i) भवन के पैरामीटर्स :—

(1)	(2)	(3)	(4)
सेट बैक (न्यूनतम)	स्थल मानचित्रानुसार (पृ. सं. 3/सी अनुसार)	भवन विनियम 2010 की तालिका "1" के अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	20'-0"	20'-0"	7.62 मी. (25'-0")
साईड प्रथम	5'-0"	5'-0"	3.05 मी. (10'-0") उत्तर दिशा *
साईड द्वितीय	10'-0"	10'-0"	3.73 मी. (12'-3")
पार्श्व	5'-0"	5'-0"	3.11 मी. (10'-3")
ऊँचाई	—	12.00 मी. + स्टिल्ट	15.00 मी. (स्टिल्ट सहित)
मंजिल	—	अंकित नहीं	स्टिल्ट + जी + 3 तल
बेसमेंट	—	देय	प्रस्तावित नहीं
आच्छादन	—	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	गणना की जानी है
एफ.ए.आर	—	मानक 1.2	गणना की जानी है

- (ii) पार्किंग :— भवन विनियम अनुसार = गणना की जानी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 13.66 ई.सी.यू (10 कार, 11 दुपहिया)

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान – आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान – आवश्यक है, प्रस्तावित है।

10. विचारणीय बिन्दु :-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार 60'-0" चौड़ी सड़क पर स्थित उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 725.00 व. ग. पर स्टील्ट + भूतल + तृतीय तल तक कुल 15.00 मी. (स्टील्ट सहित) (11 निवास इकाई) की आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।
2. उत्तर दिशा की ओर सैटबैक 3.60 मी. करवाया जाना प्रस्तावित है। (49/एन)
3. निर्णय पश्चात् पुनः संशोधित मानचित्र व शुल्क की गणना किया जाना प्रस्तावित है।

11. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार विचारणीय बिन्दु 10 (2 व 3) पर निर्णयोपरांत भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. एजेण्डा के प्रस्ताव अनुसार स्टील्ट+जी+3 मंजिल के एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर अनुसार मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जाये।

२१/११
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रस्ताव सं. 60




दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री किशन लाल।
2. भू. सं./योजना का नाम :— म.न. ई-13 व ई-14 गोवर्धन पुरी चौकड़ी शर्फी शुमाली, जयपुर
3. प्रयोजन :— उपविभाजक एवं पुनर्गठन स्वीकृति बाबत।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा बांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।


			
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन — निरस्तीकरण हेतु।


1. प्रार्थी का नाम :— श्री राजीव कुमार जैन।
2. भू. सं./योजना का नाम :— म.न. 326 रामगंज बाजार, दुकान नं. 30 के ऊपर जयपुर।
3. प्रयोजन :— भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)


अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रस्ताव सं. 62


दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन — निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री लोकेश अग्रवाल।
2. भू. सं./योजना का नाम :— म.न. बी-149, बापू नगर, जयपुर।
3. प्रयोजनः—भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

			
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री सैयद मोहम्मद अली व अन्य।
2. भू. सं./योजना का नाम :— भू.स. 3636/10, रास्ता जगन्नाथशाह का, मौलाना साहब के मदरसे के पास, जयपुर।
3. प्रयोजनः—भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)




आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री सौरभ भोला पुत्र स्व. श्री श्याम सुन्दर भोला।
2. भू. सं./योजना का नाम :— म.न. 373, गुरुनानकपुरा, आदर्श नगर, जयपुर।
3. प्रयोजन:-उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

			
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन — निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— मैसर्स श्रीनाथ कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. जरिये निदेशक पी. जी. डवलपर्स
 2. भू. सं./योजना का नाम :— झूमर लाल तिवाड़ी की बगीची, एम.आई. रोड जयपुर।
 3. प्रयोजन :— व्यवसायिक निर्माण स्वीकृति बाबत।
- समिति का निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. एजेण्डा में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुरुष्ण (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रस्ताव सं. 66


दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री श्रवण कुमार गुप्ता।
2. भू. सं./योजना का नाम :— म.न. 32, सिन्धी काँलोनी, जवाहर नगर, जयपुर।
3. प्रयोजन :— उपविभाजन स्वीकृति बाबत।


समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)


अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री सुरेन्द्र कुमार तायल।
2. भू. सं./योजना का नाम :— म.न. 422-बी, आदर्श नगर, जयपुर।
3. प्रयोजन :— उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रस्ताव सं. 68

दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन – संशोधित बहुमंजिला आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।
भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई— भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :— मैसर्स प्रेम कार्गो मूवर्स प्रा. लि., जरिये निदेशक श्री अशोक कुमार जैन
एवं अन्य।

2. भूखण्ड सं./योजना:- एस.बी.-166, बापू नगर, जयपुर।

3. क्षेत्रफल :-

(i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. (1114.83 व. मी.) (18/सी)

(ii) स्थल मानचित्र अनुसार :— $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. (1114.83 व. मी.) (पूर्व पत्रावली के 27/सी अनुसार)

(iii) मौका अनुसार :— $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. (1114.83 व. मी.) (43/एन)

4. भूखण्ड का प्रकार :-

(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— बापू नगर।
(ii) आवंटित :— हाँ।

5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :— 100'-0" (पूर्व पत्रावली के 27/सी अनुसार)
(ii) मौके के अनुसार :— 100'-0" (43/एन)

6. भू-उपयोग

(i) मास्टर प्लान के अनुसार:— आवासीय।
(ii) प्रस्तावित :— आवासीय।
(iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:— बेसमेंट + स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा प्रथम फ्लोर पर सेन्टरिंग एण्ड शटरिंग वर्क चल रहा है।

7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर बेसमेंट + स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा प्रथम फ्लोर पर सेन्टरिंग एण्ड शटरिंग वर्क चल रहा है। मौके पर साइट की स्थिति रक्चानुसार है। भूखण्ड का क्षेत्रफल $120'-0'' \times 100'-0'' = 12000$ वर्ग फीट (1333.33 व. ग.) है। (43/एन)

8. स्वामित्व रिपोर्ट :— पूर्व पत्रावली के पृ. सं. 22/सी पर नाम हस्तांतरण पत्र 1333.33 व. ग. का संलग्न है।

9. तकनीकी रिपोर्ट :—

(i) भवन के पैरामीटर्स:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सैट बैक (चूनतम)	स्थल मानचित्रानुसार	पूर्व अनुमोदित मानचित्रानुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	मौके अनुसार (43/एन)
अग्र	40'-0"	12.50 मी.	12.19 मी.	12.50 मी.
साइड प्रथम	15'-0"	6.21 मी.	6.29 मी.	6.21 मी.
साइड द्वितीय	15'-0"	6.21 मी.	6.29 मी.	6.32 मी.
पीछे	5'-0"	6.93 मी.	7.31 मी.	7.30 मी.
ऊँचाई	—	40.00 मी.	40.00 मी.	निर्माणाधीन
मंजिल	—	बी+एस+12	बी+एस+12 तल	बी+एस+1 तल (निर्माणाधीन)
बेसमेंट	—	अनुमोदित	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन
आच्छादन	—	33.55 प्रतिशत	32.80 प्रतिशत	—

(गणना शेष है)	
एफ.ए.आर	- 3.168

(ii) पार्किंग:- भवन विनियम अनुसार संशोधित मानचित्र की गणना की जानी है।

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान - आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान - आवश्यक है, प्रस्तावित है।

10. फायर अनापत्ति विवरण:- भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है अतः फायर अनापत्ति ली जानी है।

11. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनापत्ति विवरण:- भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति ली जानी है।

12. भूखण्ड के चारों ओर एन.बी.सी. के प्रावधानानुसार ड्राइव वे 3.6 मीटर उपलब्ध है।

13. भवन विनियम 2010 के नियम 12 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रस्तावित है।

14. प्रकरण के तथ्य:-

1. विषयान्तर्गत भूखण्ड जो 100'-0" चौड़ी सड़क पर स्थित है, का क्षेत्रफल $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. (1114.83 व. मी.) पर बेसमेंट + रिट्ल्ट + 12 तल की कुल 40.00 मी. ऊँचाई की आवासीय (फ्लैट्स) निर्माण स्वीकृति नगर निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 09.12.2013 को जारी की गयी थी।

2. अब आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड पर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत कर बेसमेंट + रिट्ल्ट + 12 तल की कुल 40.00 मी. (पूर्वानुसार मंजिल व ऊँचाई रखते हुये) ऊँचाई की आवासीय (फ्लैट्स) निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।

3. संशोधित मानचित्र में मुख्य रूपसे निम्न परिवर्तन प्रस्तावित हैं:-

- i. पूर्व अनुमोदित मानचित्र में आंतरिक परिवर्तन प्रस्तावित है जो नियमानुसार देय है।
- ii. पूर्व अनुमोदित चारों सैटबैक में बालकोंनी के बाहर व अन्य स्थान पर एलीवेशन ट्रीटमेन्ट (बॉक्सिंग) प्रस्तावित किया गया है। यह पहले नक्शे अनुमोदन के समय भी देय थी परंतु आवेदक द्वारा उस समय स्वीकृति प्राप्त नहीं कर अब स्वीकृति चाही गयी है। इस संबंध में आवेदक द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.07.2011 की प्रति संलग्न कर बिन्दु सं. 1 के तहत स्वीकृति चाही गयी है, उक्त में निम्न प्रावधान है:-

"किसी प्रकरण में यदि भवन मानचित्र पूर्व में प्रचलित भवन विनियमों के तहत अनुमोदित किया गया है तो संशोधित मानचित्रों के अनुमोदन के समय उन्हीं भवन विनियमों के प्रावधान लागू होंगे, जिनके तहत पूर्व में अनुमति दी गई।"

आवेदक द्वारा पूर्व स्वीकृत ऊँचाई व सैटबैक में मात्र विलिंग ब्लॉक में व एलीवेशन ट्रीटमेन्ट में आंतरिक परिवर्तन कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। जो राज्य सरकार के परिपत्र के संदर्भ में देय है। इस बाबत् आवेदक से तर्दीकशुदा शपथ पत्र लिया जाना उपयुक्त होगा कि वह प्रस्तावित एलीवेशन ट्रीटमेन्ट को अन्य किसी उपयोग में नहीं लेगा, अन्यथा यह स्वतः निरस्त माना जायेगा।

- 4. पूर्व में बेसमेंट में पार्किंग के कुछ स्थान पर पम्प रूम एवं वाटर टैंक प्रस्तावित हैं, जो देय है।
- 5. आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र के नियमानुसार पार्किंग की उपलब्धतानुसार एफ.ए.आर. दिया जाना प्रस्तावित है।
- 6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में मौके अनुसार सही सैटबैक अंकित नहीं किये गये हैं, जिन्हें सही किया जाना है।


समिति का निर्णय:- समिति द्वारा प्रकरण के एजेंडा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में प्रस्तावित आन्तरिक संशोधन व चारों सैटबैक में प्रस्तावित एलिवेशन ट्रीटमेन्ट को एजेन्डा अनुसार अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. भवन में पूर्व में अनुमोदित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या पूर्व अनुमोदित मानचित्र अनुसार ही रहेगी। अतः नागरिक उड़डयन विभाग की पूर्व में जारी NOC क्रमांक AAI/NOC/2013/345/2350 दिनांक 05.08.2013 के तहत पुनः अनापत्ति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
3. आवेदक को अग्निशमन की अनापत्ति प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जायें।
4. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात व अग्निशमन के अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात मानचित्र जारी किये जायें।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)


अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रयोजन — निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री आलोक प्रभुणे।
2. भू. सं./योजना का नाम :— सी-60, नाहरी नाका पूर्व, जयपुर।
3. प्रयोजन :—आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. आवेदक द्वारा मौके पर बिना स्वीकृति के कोई निर्माण किया गया है तो उस हेतु सम्बन्धित जोन आयुक्त द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर (अध्यक्ष)	अति. मुख्य नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य)	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर (सदस्य सचिव)	आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर (सदस्य)

प्रयोजन – कैनोपी लगाने की स्वीकृति बाबत।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री ओमप्रकाश पूनिया
2. भू. सं./योजना का नाम :— 44/302, बस्सी सीतारामपुरा, जयपुर।
3. प्रयोजन:- कैनोपी लगाने की स्वीकृति बाबत।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. आवेदक द्वारा मौके पर बिना स्वीकृति के कोई निर्माण किया गया है तो उस हेतु सम्बन्धित जोन आयुक्त द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)

अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

प्रस्ताव सं. 71

दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन – पूर्व बी.पी.सी. में अनुमोदित उपविभाजन निररत किये जाने बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— मैसर्स सत्यप्रकाश बिल्डर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सुरजा राम मील।
2. भू. सं./योजना का नाम :— ए-06, पृथ्वीराज रोड, सी-स्कीम, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :—

(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— सी-स्कीम।

(ii) आवंटित :— हॉ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके अनुसार
मूल भूखण्ड	34460.80 व. ग. (28812.95 व. मी.)	34460.80 व. ग. (28812.95 व. मी.)	34460.80 व. ग. (28812.95 व. मी.)
प्रस्तावित उपविभाजन	ए-6	8060.09 व. मी.	8060.09 व. मी.
	ए-6-ए	20752.86 व. मी.	20752.86 व. मी.

5. प्रकरण के तथ्य :— प्रश्नगत प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 25.05.

2011 में प्रस्ताव सं. 04 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

समिति द्वारा पत्रावली एवं एजेण्डा का अवलोकन कर निम्नांकित शर्तों के साथ प्रश्नगत भूखण्ड के दो भागों में भू. सं. ए-06 क्षेत्रफल 8060.09 व. मी. व भू. सं. ए-06-ए क्षेत्रफल 20752.86 व. मी. का उपविभाजन अनुमोदन का निर्णय लिया गया:-

- i. मूल भूखण्ड के सैटबैक को यथावत रखे जावें।
- ii. मूल भूखण्ड एवं प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500.00 व. ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावें।
- iii. उपविभाजन मानचित्र एवं नाम हस्तांतरण पत्र साथ-साथ जारी किये जावें।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों की पालना व राज्य सरकार स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् वांछित सभी शुल्क जमा कराने एवं आवश्यक दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।

उक्त निर्णय के बिन्दु (ii) की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 258 दिनांक 11.07.2011 द्वारा प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य सरकार की उपविभाजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त पत्र के संदर्भ में उप शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के कार्यालय पत्रांक प. 3 (743) नविवि/3/2011 दिनांक 12.09.2011 द्वारा निम्न स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

“भू. सं. ए-6, पृथ्वीराज रोड, सी-स्कीम, जयपुर कुल क्षेत्रफल 28812.95 वर्ग मीटर का दो भूखण्डों में क्रमशः 8060.09 वर्ग मीटर तथा 20752.86 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मूल भूखण्ड के सैटबैक यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।”

तत्पश्चात् आवेदक को कार्यालय पत्रांक 1010 दिनांक 09.12.2011 द्वारा उपविभाजन शुल्क व बी.एस.यू.पी. शेल्टर राशि निगम कोष में राशि 2160973/- रूपये जमा कराने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया था आवेदक द्वारा आज दिनांक तक राशि निगम कोष में जमा नहीं करायी गयी है तथा न ही पत्र का कोई जबाब दिया गया है व प्रकरण कार्यालय में लम्बित चल रहा है।


अतः प्रकरण समिति के समक्ष निरस्त किये जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


समिति का निर्णय— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया।

प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा मांगपत्र की राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. समिति द्वारा नोट किया गया कि विषयान्तर्गत उपविभाजन का प्रकरण 28,812.85 वर्ग. मी. क्षेत्रफल का है। समिति को अधिकार केवल 2500 वर्ग.मी. तक के प्रकरण निस्तारित करने का अधिकार है। 2500 वर्ग.मी. से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरण निस्तारण हेतु अभी सक्षम कमेटी अस्तित्व में नहीं है अतः यह निर्णय लिया गया कि उक्त कारण को अंकित करते हुये इस समिति के निरस्त किये जाने का अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त किया जाये।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष)


अ. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)

विषय – निरस्तीकरण हेतु।

1. प्रार्थी का नाम :— श्री विजय रहेजा
2. भू. सं./योजना का नाम :— एस-15-सी, सी-स्कीम, जयपुर।
3. प्रयोजनः—आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

4. प्रकरण के तथ्य :— प्रकरण को भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 24.06.2014 में रखा गया था। जिसमें आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति के अनुमोदन का निर्णय लिया गया था। लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी को पत्रांक 643 दिनांक 02.07.2014 एवं 1350 दिनांक 01.10.2014 द्वारा मांग पत्र भेजे गये परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक मांग पत्र का कोई जबाब नहीं दिया गया।

5. प्रस्तावः— प्रार्थी द्वारा कोई जबाब नहीं दिये जाने के कारण निम्नांकित प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

1. प्रकरण को निरस्त करते हुये दाखिल दफ्तर किया जाना प्रस्तावित है।


2. आयुक्त मोती डूंगरी जोन को लिखा जावे की प्रार्थी द्वारा यदि मौके पर बिना स्वीकृति कोई निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें।

समिति का निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण के एजेण्डा व पत्रावली का अध्ययन किया गया।

प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा कार्यालय द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये मौके पर निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित जोन आयुक्त कार्यवाही करें।

 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर नगर निगम, जयपुर
(अध्यक्ष) (सदस्य)


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य सचिव)


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर
(सदस्य)